TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED .21...NOVEMBER, 1990 

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, 21. November, 1990

## NOTIFICATION INCOME-TAX

S.O.27.9 (E) In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- These Rules may be called the Income-tax (.Feftients. Amendment) Rules, 1990. (1) 1.
  - They shall come into force on the 14th day of December, (2)1990.
- In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, for Form No.1, the following Form shall be substituted, namely. 2.

## " FORM NO. 1

ETURN OF INCOME [ SEE RUI				1	Re	ceipt No	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
[ For Companies other t	1.	and the second	1.0			Date	<u> </u>	
	THE ATTACHED NO	OTES CAREFU				`	<del>,</del>	· · · · · ·
ORIGINAL / REVISED / U/S 142(1)(i) / 14	8 / 237		•	2. Assess	ment year	19		
If revised, Receipt No. and date of filing of original return	4. PAN / GIF							
	Ward 19 Circle /Ran	ge						
Name (In Block Letters)		*6.	Status	*		Residential Status	L	
						·		
Office Address (In Block letters)		· ·				e de la companya de l	•	
							-	
	Telephone				Pin	$\top$	<u> </u>	1
(a) Is this the first assessment of the C (b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a represassessee?  PART-I COMPUTATION C	th-tax? Yes/No entative Yes/No	(ii) In re Na	ler Agreen espect of C	nent with F Country wit	h which n	o Agreemer	nt exists Y	es/No es/No E
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a represassessee?  PART-I COMPUTATION C	th-tax? Yes/No centative Yes/No PF INCOME INC IN ASSES	(i) Und (ii) In re Na: LUDING ING SSEE'S TOT	ler Agreem espect of C me of the 1 COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	h which o	o Agreemer	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a repres assessee ?  PART-I COMPUTATION C	th-tax? Yes/No centative Yes/No PF INCOME INC	(i) Und (ii) In re Na: LUDING ING SSEE'S TOT	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	h which o	o Agreemer	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a repres assessee ?  PART-I COMPUTATION C	th-tax? Yes/No centative Yes/No PF INCOME INC IN ASSES	(i) Und (ii) In re Na: LUDING ING SSEE'S TOT	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	h which o	o Agreemer	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property(ies)  Address (es) of the property(ies)	th-tax? Yes/No centative Yes/No PF INCOME INC IN ASSES	(i) Und (ii) In re Na: LUDING ING SSEE'S TOT	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	h which o	o Agreemen	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (ies)  Address (es) of the property (ies)  ALV / ANNUAL RENT Löss:	th-tax? Yes/No centative Yes/No PF INCOME INC IN ASSES	(i) Und (ii) In re Nat LUDING ING SSEE'S TOT	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	h which o	o Agreemen	nt exists Y	'es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property(ies)  Address (es) of the property(ies)  ALV / ANNUAL HENT Less: (a)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No OF INCOME INC IN ASSES	(i) Und (ii) In re  Nat  LUDING INC  SSEE'S TOT  ROM HOU	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	h which o	o Agreemen	nt exists Y	'es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (ies)  Address (es) of the property (ies)  ALV / ANNUAL RENT Less: (a) (b)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No PF INCOME INC IN ASSES INCOME F	(i) Und (ii) In re  Nat  LUDING INC  SSEE'S TOT  ROM HOU	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	R PER	o Agreemen	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (les)  Address (es) of the property (les)  ALV / ANNUAL RENT Less: (a) (b)  Total of 3  Balance (2-4)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No PF INCOME INC IN ASSES INCOME F	(i) Und (ii) In re  Nat  LUDING INC  SSEE'S TOT  ROM HOU	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	R PER	o Agreemen	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (les)  Address (es) of the property (les)  ALV / ANNUAL RENT Less: (a) (b)  Total of 3  Balance (2-4)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No PF INCOME INC IN ASSES INCOME F	(i) Und (ii) In re Nat	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	R PER	o Agreemen	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (les)  Address (es) of the property (les)  ALV / ANNUAL RENT Less: (a) (b)  Total of 3  Balance (2-4)  Other deductions (a) Repairs (b)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No PF INCOME INC IN ASSES INCOME F  Rs. Rs.	(i) Und (ii) In re Na: LUDING ING SSEE'S TOT ROM HOU	ler Agreem espect of C me of the the C COME C AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	R PER	o Agreemen	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (les)  Address (es) of the property (les)  ALV / ANNUAL RENT Less: (a) (b) Total of 3  Balance (2-4)  Other deductions (a) Repairs (b) (c) (d)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No Yes/No PF INCOME INC IN ASSES INCOME F	(i) Und (ii) In re Nat	ler Agreemespect of Come of the Come of AL INCO	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	R PER	o Agreemen	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (los)  Address (es) of the property (los)  ALV / ANNUAL RENT Less: (a) (b)  Total of 3  Balance (2-4)  Other deductions (a) Repairs (b) (c)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No Yes/No Yes/No PF INCOME INC IN ASSES INCOME F	(i) Und (ii) In re  Nat  LUDING INC  SSEE'S TOT  ROM HOU	ler Agreemespect of Come of the COME COME COME COME COME COME COME COME	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	R PER	o Agreemen	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (les)  Address (es) of the property (les)  ALV / ANNUAL RENT Less: (a) (b) Total of 3  Balance (2-4)  Other deductions (a) Repairs (b) (c) (d) (e)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No PF INCOME INC IN ASSES INCOME F	(i) Und (ii) In re Nat	ler Agreemespect of Come of the Come of th	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	R PER	o Agreemen	nt exists Y	es/No
(b) Is the Company assessed to Weal (c) Is the return being filed as a representation of the property (les)  Address (es) of the property (les)  ALV / ANNUAL RENT Less: (a) (b) Total of 3  Balance (2-4)  Other deductions (a) Repairs (b) (c) (d) (e) (f) (g)	th-tax? Yes/No sentative Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No PF INCOME INC IN ASSES INCOME F	(i) Und (ii) In re  Nat  LUDING INC  SSEE'S TOT  ROM HOU	ler Agreemespect of Come of the Come of th	nent with F Country wit Country OF OTHE OME	R PER	SONS IN	nt exists Y	es/No

# B. PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION

Adjustments:	Add	Deduct	•
	Rs	Rs.	<u>.</u>
		*	
, ,	Rs.	Rs.	<del></del>
	Rs	Rs. :	
	As	As.	
*	Rs	Rs.	
		Rs.	
	As		<del></del>
	Rs	Rs.	
· .	Rs	Rs	_
Total of Advisor	, De	D <sub>0</sub>	•
Total of Adjustments	Rs	Rs	
. Balance after adjustments of 1±3 above		Net Profit / Loss	Rs
Share in Profit / Loss of RF (s)	•	<u>.</u>	Rs
Share in Profits or Losses of URF	Rs		
	4		
AOP	Rs		
BOI	Rs	Total	Rs
	PROFESSION COMME	Special Ation Promise	. —
CHARGEABLE INCOME FROM BUSINESS OR (i.e. Result of 4,5 and 6)	TENOLESSION (OTHER THAN !	a BUSINESS)	Rs
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Speculation Business :		r r	D.
Met Profit / Loss as per Profit & Loss Accoun		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rs
Adjustments:	Add	Deduct	
	Rs	Rs;	
		· ·	
	As	Rs	<del></del>
	Rs	Rs <sub> </sub>	_
	Rs	Rs	
	As	Rs	<del></del>
0. Total of Adjustments		The second second	
0. Total of Adjustments  1. CHARGEABLE INCOME FROM SPECULATIO	•		Rs
	ON BUSINESS (8±10)		Rs

## C. CAPITAL GAINS

	Sho	ort Term As	sets	Long Ter	m Assets
Particulars of asset transferred Date of Acquisition		·			
Date of Acquisition  Date of Transfer		<del></del>	ų	<del> </del>	
				<del> </del>	
No. of months asset     held before transfer     Mode of Transfer		:			
Consideration	Fls		Rs.	Rs.	Rs
7. Deductions: (i) Cost of Acquisition	Rs	. • • · · ·	Rs	Rs	Rs.
**************************************	As		Rs	Rs	Rs
(iii) Cost of Transfer	Rs		Rs	Rs	Rs
3. Total of Deductions	As		Rs		Fis
9. Balance (6-8)	Rs		Rs.		Rs
10. Less: Other deduction (s)			Rs		Rs
11. Balance (9-10)	Fls		Rs		Rs
12. Add / Deduct :	<del></del>			,	
Amount deemed to be Cap Gains (Other than U/s.50)		<b>'</b> )			
(a)	Rs	i	Rs	Rs	Rs
(a) (b)	Rs.		Rs.	Rs	
".	Rs.		As	Rs.	
13. Total [12(a)+12(b)]	Hs.		Rs.	Rs.	
14. Total (11±13)			. 10	। । चः	нs Rs.
15. Short Term Capital Gains		14	·	1 January C	r (a
16. Net amount of Capital G		Upto 15/9	. 16/9 to 15/12	16/12 to 31/3	
SHORT TERM CAPITAL GAI OTHER SHORT TERM CAPI	ITAL GAINS	Rs	Rs	H\$	
LONG TERM CAPITAL GAIN		Rs	Hs	Hs	Grand Total Rs
<i>√</i>			E FROM OTHER S		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•				
	1			·	
1. (a) Dividends	0		Rs	1 .	
(b) Interest	1		Rs	1 .	
(b) Interest (c) Winnings from lotteries,			Rs	1 .	
(b) Interest			Rs		N
(b) Interest (c) Winnings from lotteries, word puzzles, races etc.			Rs		N
<ul><li>(b) Interest</li><li>(c) Winnings from lotteries, word puzzles, races etc.</li><li>(d) Rental income from ma</li></ul>			Rs		
<ul><li>(b) Interest</li><li>(c) Winnings from lotteries, word puzzles, races etc.</li><li>(d) Rental income from marplants, buildings etc.</li></ul>			Rs		Rs
<ul> <li>(b) Interest</li> <li>(c) Winnings from lotteries, word puzzles, races etc.</li> <li>(d) Rental income from marplants, buildings etc.</li> <li>(e) Others</li> </ul>	achinery,		Rs		Rs
<ul> <li>(b) Interest</li> <li>(c) Winnings from lotteries, word puzzles, races etc.</li> <li>(d) Rental income from marplants, buildings etc.</li> <li>(e) Others</li> <li>2. Total of 1(a) to 1 (e)</li> <li>3. Less: Deductions; (please</li> </ul>	achinery,		RsRs		Rs
<ul> <li>(b) Interest</li> <li>(c) Winnings from lotteries, word puzzles, races etc.</li> <li>(d) Rental income from marplants, buildings etc.</li> <li>(e) Others</li> <li>2. Total of 1(a) to 1 (e)</li> <li>3. Less: Deductions; (please</li> </ul>	achinery,		RsRsRs		Rs

1.					ANCES B				:		aga cur Ye	et off sinst rent ars ne (Rs.)		Indicati whethe letermin or as po last relu	er esd	Indicate whether same business continued (Yes/No)
a. Assessment year	1982-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	8	9-90	H	<u>.</u>					
b. Business loss					<b></b>	:	<del> </del>	<del> </del>	<b> </b>	$\dagger \dagger$		•	-		•	
i. Speculation ii, Other than				<del></del>			ļ		<u> </u>	+	·		-			
Speculation																
_ Depreciation							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	,	$\Pi$					•	
d. Investment																-
Allowance e. Any other loss /		ļ.,						<del> </del>		#						1
allowance (Please specify)		F														l
(, local specify)		J	<u> </u>	<u></u>	A.Y.	<del> </del>	1	+		╁┸			Ł_		T	
Depreciation earlie	er to asse	ssment ye	ear 1982-8	з —	<u> </u>		111	+-		1						
	:			· L	mount (Rs.)	<u> </u>	· 	1				<u> </u>			Ц	
			F.	30% B	OOK P	ROFI	TS U/	S	11:	J	r		Dr.			
. Net Profit										1			rts			<del></del>
Adjustments:		Λ	· .		Add		0.	<b>′</b>	Dec	duct 	r.e.					
			F	เธ ใร.		<del></del>	Rs Rs		<del> </del> -			_				
				ls	,		Rs	:		Ĺ						
, b			·	ls			Rs		L							•
			` F	₹s			Rs Rs	<u> </u>	· .			_				
		<del> </del>	F	3s,	<del>-</del>				<del>                                     </del>			<del>-</del> .				
<del></del>			F	ts	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- Rs	!		Ţ		_				
:	·	·		] -			De		I	1						
		ú					Rs				-	_				
			F				Rs Rs									
3. Total of Adjustmer 4. Balance after adjustment 5. The state of the	ustments		F							Во	ok Pro	— ofit				•
l. Balance after adj	ustments		3 above	?s	. •	<u> </u>	As				ok Pro	 ofit				
I. Balance after adj	ustments		3 above	?s		<u> </u>	As		ON		ok Pro	— ofit	Rs,_			
<ol> <li>Balance after adjoint of</li> <li>Thirty percent of</li> <li>A Income from Ho</li> </ol>	Book Propose Prop	ofit perty	3 above	?s	. •	<u> </u>	Rs	Otiei	n A.	/E	ok Pro	— əfit	Rs			
Balance after adj     Thirty percent of     A. Income from Ho     B. Profits and Gain	Book Propose Prop	ofit perty	3 above	?s	. •	<u> </u>	Rs TAL IN	at i) O	n A. n B.	/E	ok Pro	ofit	Rs Rs Rs			
<ol> <li>Balance after adjoint of the second of the se</li></ol>	ustments Book Propouse Propous	ofit perty iness or P	3 above	?s	. •	<u> </u>	Rs <b>TAL IN</b>	ot (ite	n A.	/E 12) 16)	ok Pro	ofit	Rs Rs Rs			
I. Balance after adjoint of the control of the con	ustments Book Propouse Propous	ofit perty iness or P	3 above	?s	. •	<u> </u>	Rs <b>TAL IN</b>	ot (ite	n A. n B. n C.	/E 12) 16)	ok Pro		Rs Rs Rs Rs			
I. Balance after adjoint of the control of the con	ustments Book Pro  ouse Prop  ns of Bus  ther Source	ofit perty iness or P	3 above  G. S	TATE!	. •	<u> </u>	Rs T <b>AL IN</b>	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)	ok Pro	ofit	Rs Rs Rs Rs Rs			
1. Balance after adjusted. 2. Thirty percent of the second	Book Propose Propose of Businer Source	ofit perty iness or P ces asorbed to	3 above  G. S	TATE!	. •	<u> </u>	Rs T <b>AL IN</b>	(i)	n A. n B. n C.	AE 12) 16) 5)	ok Pro	ofit	Rs Rs Rs Rs Rs			
I. Balance after adjoint of the control of the cont	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab	ofit perty iness or P ces bsorbed lo	G. Sorofession	TATE!	. •	<u> </u>	Rs T <b>AL IN</b>	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)	ok Pro	ofit	Rs Rs Rs Rs Rs			
1. Balance after adjusted. S. Thirty percent of 1. A. Income from Ho B. Profits and Gain C. Capital Gains D. Income from Ot 2. Total (A to D) 3. Aess: Brought forw (from earlier years. 4. Gross Total Inco	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab	ofit perty iness or P ces bsorbed lo	G. Sorofession	TATE!	MENT C	OF TO	Rs TAL IN	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)	ok Pro	ofit .	Rs Rs Rs Rs Rs			
1. Balance after adjusted. S. Thirty percent of the	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab	ofit perty iness or P ces bsorbed lo	G. Sorofession	TATE!	MENT C	OF TO	Rs TAL IN	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)	ok Pro	fit	Rs Rs Rs Rs Rs			
1. Balance after adjusted. S. Thirty percent of the	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab	ofit perty iness or P ces bsorbed lo	G. Sorofession	TATEN	MENT C	OF TO	Rs	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)	ok Pro	fit	Rs Rs Rs Rs Rs			
1. Balance after adjoint of the percent of the perc	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab	ofit perty iness or P ces bsorbed lo	G. Sorofession	TATEN	MENT C	OF TO	Rs	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)	ok Pro	ofit	Rs Rs Rs Rs Rs			
Balance after adj. Thirty percent of  A. Income from Ho B. Profits and Gain C. Capital Gains D.Income from Ot  Total (A to D) Less: Brought fore from earlier years. Gross Total Inco Less: Deductions	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab	ofit perty iness or P ces asorbed to	G. Sorofession	TATE!	ASS	OF TO	Rs	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)	ok Pro	fit	Rs Rs Rs Rs Rs			
I. Balance after adjoint of the control of the cont	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab	ofit perty iness or P ces asorbed to	G. Sorofession	TATE!	RSRSRSRSRSRSRSRS.	OF TO	Rs	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)			Rs Rs Rs Rs Rs Rs			
I. Balance after adjoint of the control of the cont	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab	ofit perty iness or P ces asorbed to	G. Sorofession	TATE!	MENT C	OF TO	Rs	(i)	n A. n B. n C. n D.	AE 12) 16) 5)	ok Pro		Rs Rs Rs Rs Rs Rs			
I. Balance after adjoint of the control of the cont	ustments Book Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl	ofit perty iness or P ces bsorbed to hapter VI-	G. S Profession	TATE!	RSRSRSRSRSRSRSRS.	OF TO	Rs	(i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii)	n A. n B. n D. n E.	E (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs			
Balance after adjoint of the control	ustments Book Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl	ofit perty iness or P ces bsorbed to hapter VI-	G. So refession asses or all	TATEN	RSRSRSRSRSRSRSRS.	OF TO	Rs	(i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii)	n A. n B. n C. n D.	E (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs			
Balance after adjace.  A Income from Home Profits and Gair C. Capital Gains D. Income from Otto Profits.  Total (A to D) Aless: Brought forward arrier years.  Gross Total Income (4-7, 30% OF BOOK P. 8, Total Income (4-8).	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl	perty iness or P ces bsorbed to hapter VI-	G. Sorofession  ssses or all  A	TATEN	MENT C	OF TO	Rs	(i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii)	n A. n B. n D. n E.	E (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs			
4. Balance after adjoint of the profits and Gain C. Capital Gains D. Income from Ot 2. Total (A to D) 3. A ess: Brought forward from earlier years. 4. Gross Total Income 5. Less: Deductions 6. Total Income (4-7, 30% OF BOOK P 8. Total Income (4-8).	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl	perty iness or P ces bsorbed to hapter VI-	G. Sorofession  ssses or all  A	TATEN	MENT C	OF TO	Rs	(i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (	n A B. C. D. E.	E) 2) 6) 5)	То	tal	Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs			
I. Balance after adjoint of the profits and Gains D. Income from Ot C. Total (A to D) Aless: Brought forwards of the profits and the profits and Gains D. Income from Ot C. Total (A to D) Aless: Brought forwards of the profits of th	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl	perty iness or P ces bsorbed to hapter VI-	G. Sorofession  ssses or all  A	TATEN	MENT C	OF TO	Rs	(i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (	n A B. C. D. E.	E) 2) 6) 5)		tal	Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs			
4. Balance after adjoint of the second of th	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl	perty iness or P ces bsorbed to hapter VI-	G. Sorofession  ssses or all  A	TATEN	MENT C	OF TO	Rs	(i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (	n A B. C. D. E.	E) 2) 6) 5)	То	tal	Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs			
1. Balance after adjoint of the profits and Gain C. Capital Gains D. Income from Ot 2. Total (A to D) 3. Less: Brought forward from earlier years. 4. Gross Total Income (4-7, 30% OF BOOK P8. Total Income (4-9, Total Income (4-9). Total Income (4-9).	ustments Book Propose Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl	perty iness or P ces bsorbed to hapter VI-	G. Sorofession  ssses or all  A	TATEN	MENT C	OF TO	Rs	(i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (	n A B. C. D. E. E. E. F. F. E. E. F. F. E. E. E. F. F. E. E. F. E.	E) 2) 6) 5)	То	tal	Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs undre-	ds	Tens	Units
1. Balance after adjoint of the profits and Gains D. Income from Ot 2. Total (A to D) 3. Less: Brought forward of the profits and the profits and Gains D. Income from Ot 2. Total (A to D) 3. Less: Brought forward of the profits of	ustments Book Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl brigher c	perty iness or P ces bsorbed to hapter VI- INDER SE of items 6 d off to th	G. Sorofession  sses or all  A  CCTION 11  or 7 above e nearest	TATEN  lowances  Fig. 15J.  (e)  multiple	de to tax at	ees)	TAL IN	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	n A B. C. D. E. E. E. F. F. E. E. F. F. E. E. E. F. F. E. E. F. E.	E) 2) 6) 5)	То	tal	Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs	ds	Tens	Units
4. Balance after adjoint of the profits and Gain C. Capital Gains D. Income from Ot 2. Total (A to D) 3. A ess: Brought forward from earlier years. 4. Gross Total Income 5. Less: Deductions 5. Less: Deductions 6. Total Income (4-7, 30% OF BOOK P8. Total Income (as 9, Total Income (as	ustments Book Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl brigher c	perty iness or P ces bsorbed to hapter VI- INDER SE of items 6 d off to th	G. Sorofession  sses or all  A  CCTION 11  or 7 above e nearest	TATEN  lowances  Fig. 15J.  (e)  multiple	de to tax at	ees)	TAL IN	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	n A B. C. D. E. E. E. F. F. E. E. F. F. E. E. E. F. F. E. E. F. E.	E) 2) 6) 5)	То	tal	Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs	ds	Tens	Units
1. Balance after adjoint of the profits and Gains D. Income from Ot 2. Total (A to D) 3. Less: Brought forward of the profits and the profits and Gains D. Income from Ot 2. Total (A to D) 3. Less: Brought forward of the profits of	ustments Book Propose of Bus ther Source ward unab me (2-3) under Cl brigher c	perty iness or P ces bsorbed to hapter VI- INDER SE of items 6 d off to th	G. Sorofession  sses or all  A  CCTION 11  or 7 above e nearest	TATEN  lowances  Fig. 15J.  (e)  multiple	de to tax at	ees)	TAL IN	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	n A B. C. D. E. E. E. F. F. E. E. F. F. E. E. E. F. F. E. E. F. E.	E) 2) 6) 5)	То	tal	Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs	ds	Tens	Units

<u> </u>	1,						
	PART	II STATE	MENT OF	- TAXES			
1. Tax on Total income	(a) At special rates (b) At normal rates	As As	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total:	As	
2. Add:	(b) At Hotting, 12100	/		₹.			
(a) Interest on late filing	of return	Rs		. [			
(b) Interest for default in (c) Interest for defermen	payment of Advance tax t of Advance Tax	Rs			Total:	Rs	
3. Total Tax and Interest			ţ		<b>.</b>	Rs	<del></del>
		Advance-tax ir	istalment:	s (Attach (	ˈ ˈhallans)		
4. Prepaid Taxes	, .	•			1	Tabal	
	1st	2nd		3 d		Total	
Amount (Rs.)							
Date							
			1				
Name of Bank							
Branch	L'	Mach cortific		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
(B) Tax Deducted / C	collected at Source [/						
(a) Interest (b) Dividends	•	Rs Rs			1		
(c) U/S.206C	em (Please specify)	As As		ŀ	•		
(d) : Any other it (e) : Total [ (a)		110.	:		I	Rs.	
5. Tax on Self Asse	ssment (Attach Chal	an)		Amount			
		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
Date of Payment	`	Income	∍-tax		in respect above	Total	
	19			<u> </u>			
		Rs		Rs			
3	. 10				t .	-	
6. Other prepaid tax	ces, ir any				•	Rs	
7. Total (4 to 6)	F					Rs	<del></del> .
8. NET TAX PAYAB	LE OR REFUNDABLI	E (I.e. Difference	of 3 and 7)	! .		Rs	
PART		ATION RELEV		USINESS	OR PROFE	SSION	
1. General Particulars :	-						
(a) Name in which busine	ss / profession is carried on		, (D) Na	ame and Add	ress (es) of bra	anch (es)	
<u>*</u>	·	<del></del> .			-		
(c) Nature of Business or	Profession	<i>P</i>	(d) M	ethod of stock	c valuation		
		·					
(e) Name and address of Managing Director	the following officers of the	Company : Principal Officer				Secretary	
		1	•	<del></del> ,			
		·					
	TION REGARDING TA	AX DEDUCTE	) / COLLE	CTEDAT			
1. Tax Deduction A/c No.	of the Company				2. Name of ` ─า	TDS circle with which	return file
3							· • • · · · · ·
a. Under Section	192 193 1	94 194A	194B 1	94BB 194	C 194D	194E 195	2060
b. Amount							-
Deducted (Rs.)				y l			
c. Date of filing of the prescribed return.							

	Particulars		Amou	nt (Rs.)		Particula	rs	Amount (Rs.)	
					ŧ .	•	!	··	
(a)	Depreciation	•	·		(g)	1	ļ		<del></del>
(b) (c)	Je j		.1		(h)	1	1		<del></del>
(d)					(i) (j)	1			<del></del>
(e)					(k)				·
	-				(1)				
							1.7		
		. ΡΔ	RT - IV INCO	OME CL.	. Hili Δimen	EXEM	DT		
Nat	ure of Income		Amounit (Rs.)	/WIL QL/	2.3	ons for cla	l .		
i ji			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	; :	1,10	i		
(a)	1								
(b)									
(d)	Articles (1997)	1					<b>!</b>		
(e)		ķ							
		DAE	OT V LICT	NE DOCI	1845517	TC / C7	ATERAT	NITO ATTAOL	
		FAC	11-V LIST	AF DOGG	NINIEM	13/51	AIENE :	ENTS ATTACH	FD
							Ì		,
(a)					(f) <sub>.</sub>	·	· I'		
(p)	• •				(g):	]			
(c)					(h)	. 1	1		
(d)					(i)	, I	-	•	
( <del>u</del> )		p	•	14	(i)				
	<u>.</u>	· .			(k) 				
	b	3		RIFICATI					
				on / daughte	r / wife of	Shīri	<u>.</u> j		
neina		nd block letters)						***************************************	,
	(designa	ation) -		(n	ame of th	e comdans	al .		
oldin	g a valid power of atto	rney from		*****************	()		<u> </u>		
					(nam	e of the co	mpany)	ures and statements acc	
s co	rrect and complete and	I that the amoun	t of total income and	other particu	lars show	n there n a	re truly stat	ures and statements act ed and relate to the prev	company ious year
	nt to the assement yea ner solemnly declare th				•				
		_			from any	accet hold	in the nem	e of the company or in t	tha mama
(4	any other person;	ded or arose to	or was received by	ine company	Irom any	asset hero	int the hair	e or the company or in t	ine name
(b)		ime, including in	ncome of any other p	erson, in res	pect of w	hìch the co	mpany is c	hargeable to tax under t	the Incom
furth	tax Act, 1961. her solemnly declare th	at during the sa	aid previous vear(s)	1.					
	-	-			respect of	f whose tot	i al income t	he company is assessat	ole from a
	asset held in the nam	ne of the person	in respect of whose	total income	the comp	pany is ass	essable or	in the name of any other	er person
(b)	there is no other incoming the charge is charge.	ne, including inc deable to tax ur	come of any other per oder the Income-tax	rson in respec Act 1961	ct of which	the perso	n in respect	of whose total income th	ne compa
	er declare that in my cap					I am con		ake this return and verify	y it on beh
furthe	company.		(designati	on)		•			
urthe the						1			
f the						1	1		
the lace								##Signature	e
f the lace		s not applicable	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· .		##Signature	e 

		<b>1</b> :
NO <sup>-</sup>	TES (TO BE DETACHED AND RETAINED BY THE ASSESSEE)	FORM NO.1 [Income-tax Act, 1961/Rule 12(1)(a)]
Gener	al	·
1.	Form No.1 is for Companies other than those claiming exempt	ion under section 11.
il.	All Parts and columns must be filled in in the manner provided here apply, please mention NA (Not Applicable) and do not put any ouse the phrase 'As per Record' or words to that effect.	under. If any Part or column does not
-	The numbers given in these notes under each page refer to the respective pages of the Return of Income.	corresponding item numbers on the
IV. ►¥	In case space provided under any Head of Income is found instrespect of each such source of Income on separate sheet(s) upurpose under the relevant Head of Income In the Return computation done should be indicated in the columns proving Return Form. Similarly, any other information asked for in this furnished on account of paucity of space, may be furnished.	ising the columns indicated for that The sum totals of such ded under the relevant Head in the storm, which can not be completely
V.	References to sections and rules in these notes are references income-tax Act, 1961 and the Income-tax Rules, 1962, respective	the sections and the rules of the
Page-	1	•
1.	Strike out whichever is not applicable. If it is a return for assessmentime then it is an Original Return. To indicate this, leave 'Origin ORIGINAL / REVISED / U /S142(1) (i)/148/237: Similarly, to indical notice issued under S.142(1)(i) leave 'Original' and U/S 142(1)(i)	a' as it is and strike out the rest, eg:
2.	Indicate the assessment year for which the return is filed. (Assessmentiately following the financial year. Thus, for the period 1.4, year will be 1990-91).	ssment year is a period of 12 months 1989 to 31.3.1990, the assessment
<b>3</b> .	If this is a revised return, first give the receipt number and then the da If the original return is filed on 15.6.1990, for which the department be indicated in the boxes as:  4 2 1 0 15 - 0 6 -	
4.	The Permanent Account Number given to the taxpayer and Ward If it is not so given, indicate the GIR number, if any. If neither is given of boxes and mention Income-tax Ward/Circle/Range where a of boxes after ascertaining the same from the Public Relation Off Counter.	ven, write NOT ALLOTTED in the first seessed or assessable in the lower row
\$	Write the name using block letters. Leave one box blank after each Ltd.  GOLDEN-SYNTHET	ach limb. Example: Golden Synthetics
6.	For indicating the status, please use one of the following codes:  A domestic company in which the public are substantial.  A domestic company which is not a company in which the are substantially interested and which is not a trading company or an investment company.  A domestic company which is a trading company or an investment company.	e bublic 

... 02

Resident
Non-resident
Relevant provisions are in Section 6.

7.

Give the complete address along with Telephone Numbers and Pin Code, if any. **`**8. Strike out whichever is not applicable. 9. Part I A. INCOME FROM HOUSE PROPERTY Please give complete postal address(es) of the property(ies). If the assessee owns more than one property, 1. please mention that on a separate sheet and attach that to the Return. Indicate here the annual lettable value or the annual rent received/redeivable, whichever is higher. If you own 2. more than one house property please give separate computation in respect of each such property using the columns indicated here. The deductions admissible under section 23 should be claimed here, such as: Municipal Taxes: Assessee can claim deduction only if these are (i) borne by it and not by tenant and (ii) paid during the year. Please attach proof of such payment. New construction allowance. The relevant provisions are given in the second proviso to Section (b). 23(1). Specify each item of deduction separately alongwith the amount claimed deductible thereunder. 4. The sum total of deductions claimed u/s 23 is to be indicated here. 5. Indicate here the balance (i.e. 2-4). Indicate here the eduction(s) claimed U/S 24 (specifying each item separately), such as : 6. Repairs - The assessee is entitled to one sixth of the Annual Value as repairs if it is not borne by a tenant - Section 24(1)(i). (ii) Insurance - Section 24(1)(ii) (iii) Annual Charge - Section 24(1)(iv) (iv) Ground Rent - Section 24(1)(v) (v) Interest on borrowed capital - Section 24(1)(vi) (vi): Land Revenue - Section 24(1)(vii) Collection Charges (the admissible limit is the actual expenditure or 6% of the ALV, whichever is less) (vii) Section 24(1)(viii). (viii) . Vacancy allowance - Section 24(1)(ix) Unrealisable rent - Section 24(1)(x) (ix)7. The sum total of deductions claimed u/s 24 is to be indicated here The net income chargeable under the head 'INCOME FROM HOUSE PROPERTY' (i.e. 5 -7) is to be 8 indicated here. Page-2 B. PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION 1 Business or Profession (other than speculation business) Please furnish with the Return following documents/information majerial to computation of income: Copies of the audited manufacturing account, trading account, profit and loss account, balance ١. sheet, the auditor's report and the cost audit report (if applicable). (i) If the accounts are audited under section 44AB the report of such audit together with the II., (a) requisite particulars. (ii) In case the assessee has claimed deduction under section(s) 32AB, 33AB, 80HHA, 80HHC or 80HHD, the report of accountant relating to the deduction(s) together with the requisite particulars. (b) In case the provisions of section 44AC,44B, 44BB 44BBA and 44BBB are applicable, details regarding the same. Ш.. Additional information to be furnished by assessee engaged in contract work: If the value of materials supplied by the person with whom the contract was made of the amount of security deposit (out of the payment due for work done) retained by him has not been included in the gross receipts shown,

delivered to the concerned Assessing Officer under section 285B.

IV.

please attach a statement showing the value of materials and the amount of security deposit.

Additional information to be furnished by producers of cinematograph films: please indicate whether

the statement of payments to persons engaged in the production of cinematograph films has been

- V. In case of a dealer, broker, agent or any other person concerned in the management of a stock or commodity exchange; he should furnish a statement of the names and addresses of all persons to whom he or the exchange has paid in the previous year any sum or aggregate sums:
  - (a) In excess of Rs.2,000/- by way of 'difference',
  - (b) in excess of Rs.10,000/- in connection with the transfer, whether by way of sale, exchange or otherwise, of assets, or on whose behalf or from whom he or the exchange has received any sum together with particulars (amount, date, etc. of such payments and receipts).

VI.

\*

If the assessee has paid during the previous year, rent, commission, royalty or brokerage or any annuity (not being annuity assessable under the head "salaries") exceeding one thousand rupees, separate statement (according to nature of payment) showing the names and addresses of the payees and the amounts paid should be furnished in a separate sheet alongwith return. If any payee is a non-resident it should be indicated whether tax has been deducted at source and paid to the credit of the Central Government or not. Also please attach statement containing names of persons and gross amounts in cases of sales and purchases exceeding Rs.10,000 in value.

### Net Profit/Loss as per Profit and Loss Account

Give here the profit/ loss as per Profit & Loss Account from business/profession (other than speculation business). Where the assessee has more than one business/profession, or has any deemed income or income from a discontinued business/profession, computation for each such business/profession should be given in separate sheets (using the same format as given in this sub-part) and attached to the return.

### 2. Adjustments:

- A. Please indicate additions and deductions of amounts which have not been adjusted in the Profit/Loss Account in accordance with Sections 28 to 44C.
- B. Also please furnish with the Return:
- I. Particulars in respect of depreciation allowance:
  - (a) in respect of each block of assets:
    - (i) description of assets forming part of the block in the beginning of the previous year, their written down value, description and cost of assets purchased during the year and the description and sale price of any asset sold during the year;
    - (ii) written down value at the end of the year;
    - (iii) the rate at which depreciation claimed and the amount of depreciation.
  - (b) Description of assets forming part of the block of assets eligible for 100% depreciation during the year. Also state whether any of these assets were sold during the year and if so, the break-up of the sale price in respect of each such lasset.
  - (c) Description of assets forming part of the block of assets which exists but whose written down value has been reduced to NIL as the full value of the consideration received on the transfer of any asset forming part of the block during the year exceeds the written down value of the said block at the beginning of the year together with the cost of any asset of that block purchased during the year.
- II. Particulars in respect of Investment Allowance, Investment Deposit Account:
  - (a) Details of ship or aircraft or plant or machinery purchased during the year on which Investment Allowance has been claimed and the rate thereof (Also attach supporting evidence of acquiring the asset) 2
  - (b) Details of deposit(s) made with Development Bank in accordance with the Investment Deposit Account Scheme, 1986 [section 32AB(1)(a)] [attach proof of deposit(s)].
  - (c) Details of ship or aircraft or plant or machinery purchased on which deduction under Investment Deposit Account claimed [Section 32AB(1)(b)] (attach supporting evidence for the purchase).
  - (d) Details of assets purchased out of the withdrawals made in accordance with the Investment Deposit Account Scheme, 1986 or the Investment Deposit Account Scheme, 1986 (Tea). [Attach supporting evidence for the purchase of the new asset, the amount(s) withdrawn from the industrial Development Bank of India or the National Bank for Agriculture and Rural Development, as the case may be, and the date(s) of the withdrawal(s) ].
  - (e) Details of expenditure incurred out of the amount(s) withdrawn from National Bank for Agriculture and Rural Development in accordance with the Investment Deposit Account Scheme, 1986 (Tea), giving the break-up of the amount and the date(s) of the withdrawals.

- 3. Indicate the aggregate amount of adjustments separately under the Add and Deduct columns.
- 4. Net profit /loss (i.e. balance after adjustments of 1 and 3) should be indicated here.
- 5. Share in Profit/Loss of RF(s) The space provided is for indicating share from one firm. In case assessee is a partner in more than one Registered Firm, then mention such share in profits/loss of RFs on separate sheet(s) using the same columns as indicated here and attach that to the Return. Also please attach copy /copies of personal account(s) in the firm(s). Also please attach headwise details of the 'Share in Profit/Loss of RF(s)' as per provisions of Section 67.
- 6. I. Please mention here **Share in Profit or Loss of URF/AOP/BOI** separately in the given space and take the sum total of all these to the outer column. (Strike out whichever is not applicable). If the space provided is insufficient, use a separate sheet and attach that to the return. Where such income is not included here in the income of the assessee eg. incomes falling in clause (a) of the proviso to section 86(v), the details thereof and reasons for non-inclusion should be mentioned on a separate sheet and attached to the return. Further, it may be clarified whether the said share is to be included in the total income for rate purposes only or otherwise. If there is a loss, please exclude losses falling under section 77(2).
  - II: Assessee should also furnish with the Return :
    - (i) If a partier in an URF or a member of an AOP/BOI, his personal account(s) in such URF/AOP/BOI,
    - (ii) Complete details regarding Discontinued Business /Profession on a separate sheet.
    - (iii) Details of the amount(s) deemed to be his income under Section 32A/32AB/33AB/33AC/80HHD(5).
    - (iv) If the assessee has received income from his employee as contribution to any fund specified in section 2(24)(x) during the previous year, which is chargeable to tax under the head "Profits and Gains of Business or Profession" or "Income from Other Sources"; details of such income as well as of sums credited by the assessee to the employee's account in the relevant funds on or before the due date mentioned in section 36(1)(va).
- III. If the space provided is insufficient, then mention details on a separate sheet and attach that to the Return.
   Indicate here the result of 4, 5 and 6 [i.e. resultant INCOME/LOSS FROM BUSINESS/PROFESSION (other than speculation business)].
- 8. Mention the amount of INCOME FROM SPECULATION BUSINESS. If this represents share from RF/ URF/AOP/BOI then it should be clearly stated and complete details of such RF/URF/AOP/BOI, such as the names of partners/members, their profit sharing ratios and copy of personal account of the assessee in such RF/URF/AOP/BOI should also be furnished and attached to the Return.
- '9. Adjustments: Please indicate additions and deductions of amounts which have either not been adjusted in the Profit /loss Account, or if adjusted these are higher or lower than the admissible amounts. Additions/ deductions which the assessee is liable/entitled to in relation to share in profits/loss of RF/URF/AOP/BOI and not already adjusted in the case of such RF/URF/AOP/BOI should also be indicated here.
- 10. Indicate the aggregate amount of adjustments separately under the Add & Deduct columns.
- 11. Indicate here the chargeable INCOME FROM SPECULATION BUSINESS (i.e. the adjusted balance of 8 and 10).
- 12. Indicate here the net chargeable 'INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION' (i.e. 7 + 11). In case the amount at 11 is a loss then the same cannot be adjusted against 7. In that case the amount at 7 should be repeated at 12.

### Page-3

### C. CAPITAL GAINS

- 1. Give the description of the assets transferred. Separate columns have been provided for short term and long term assets. The particulars of assets transferred should accordingly be given in the respective columns. If the transfer involves more than two short term/long term assets, separate computation sheet, in the given format, should be attached to the Return.
- 2. Indicate here the date of acquisition of the asset by the assessee wherever applicable.
- Give here the date on which the asset has been transferred.
- 4. Please indicate in months the period for which the asset has been held by the assessee before transfer.
- 5. Please indicate which of the following modes of transfer is involved:-
  - (i) the sale, exchange or relinquishment of the asset; or
  - (ii) the extinguishment of any rights therein; or
  - (iii) the compulsory acquisition thereof under any law;or
  - (iv) in a case where the asset is converted by the owner thereof into, or is treated by him as, stock-in-trade of a business carried on by him, such conversion of treatment; or
  - (v) any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882); or

- any transaction (whether by way of becoming a member of, or acquiring shares in, a co-operative (vi) society, company or other association of persons or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever) which has the effect of transferring, or enabling the enjoyment of, any immovable property. In case of compulsory acquisition please mention on a separate sheet, the Act, under which the said acquisition has been made as also the dates of Notification and Possession. The gross amount realised/realisable from the transfer of the asset is to be indicated here. Please indicate here : Cost of Acquisition: It is the cost incurred by the assessee in acquiring the asset or the cost in terms of sections 49 and 55(2). Cost of Improvements: It is nil 'in relation to 'goodwill' while in relation to other assets, it is the cost (ii) incurred in improving the asset - Section 55(1)(b) Cost of transfer. It is the cost in connection with the transfer - Section 48(1)(a)(i). The sum total of deductions of 7 is to be indicated here. Indicate here the balance amount (6-8). If this results in a loss, indicate it by a minus (-) symbol. Other deductions: The deductions admissible against short term and long term capital gains are to be indicated here separately. Please specify each item alongwith the amount deductible thereunder. If the space is inadequate, use separate sheet(s). If the balance at 9 in relation to any Long Term Capital Asset is a loss the amount of loss should be arrived at in accordance with the provision of Sub-Section (3) of Section 48. The admissible deductions are: Short term capital gains: Amount exempt under section 54B(1), 54D(1) or 54G(1) ii) Amount deposited under Section 54B(2), 54D(2) or 54G(2) Long term capital gains:
  - Amount exempt under Section 54B(1), 54D(1) or 54G(1)
  - Amount deposited under Section 54B(2), 54D(2), 54E(1) or 54G(2)
  - iii) Under Section 48(2).
- 11. Please indicate here the balance amount (9-10). If the balance of 9 is a loss, the same should be repeated
- 12. Amount deemed to be income under the head 'Capital Gains' (other han U/S 50) should be indicated here. Please specify each item separately alongwith the amount includible thereunder. The relevant provisions relating to such deemed income are in Sections 45(2)/(3)/(4)/(5), 54B (2),54D(2), 54E(2) and 54G(2). 13.

The total amount of deemed capital gains (other than U/S 50) is to be indicated here. It should be indicated separately in respect of short term and long term assets.

14. Indicate here the net result of 11 and 13 separately for short term and long term capital gains.

Indicate here the Short Term Capital Gains U/S 50. The relevant details thereof should be mentioned on a 15. separate sheet and attached to the Return.

The periodwise net amount(s) of Short Term Capital Gains U/S 50, O her Short Term and Long Term capital 16. gains/losses under the head 'CAPITAL GAINS' should be indicated in the inner columns and the aggregate amount of these in the Grand Total.

### D. INCOME FROM OTHER SOURCES:

6. 7.

8.

9

₹.

10.

- Please mention the gross amount of dividend(s). Attach a separate sheet giving the following (a) information:
  - (i) name of the Company;
  - humber of shares; (ii)
  - gross amount of dividend; (iii)
  - tax deducted at source. (iv)

If the assessee has received any sum of the nature described under section 2(22)(c) and which is to be deemed as dividend, a statement should be furnished giving name and address of the company, nature of payment received and the sum so received. Please attach dividend warrants and other supporting evidence.

- Please mention the gross amount of interest(s) received/receivable. Attach a separate sheet, giving (b) information regarding each item of interest received/receivable and attach supporting evidence.
- Give here the gross amount of winnings from lotteries, crossword puzzles, and races, etc. (c)
- and attach separate computation if there are two or more items, and attach supporting evidence. Indicate here the income from machinery plant or furniture and also building let out on hire if it is (d) not chargeable to Income-tax under the head 'Profits and Gains of Business or Profession'.
- Specify other incomes chargeable under the head 'Income from Other Sources.'
- The sum total of gross rèceipts is to be indicated here. 2.
- Specify the item(s) and the amount(s) of deduction(s) claimed thereunder. The relevant provisions are in 3. Section 57.

The total of deductions claimed should be indicated here. The net income chargeable under the head 'INCOME FROM OTHER SOURCES' is to be given here. 4. 5. Page-4 E. UNABSORBED LOSSES OR ALLOWANCES BROUGHT FORWARD FROM EARLIER YEARS Give here details of unabsorbed losses or allowances brought forward from earlier years. If the space provided is found insufficient, give the details on a separarate sheet using the columns indicated 1. here and attach that to the Return. In case where profits are insufficient to absorb brought forward losses/allowances and current depreciation, the same should be deducted (subject to the latest decision of the Supreme Court) in the following order: Current scientific research expenditure [section 35(1)] Current depreciation [section 32(1)] Brought forward business losses [section 72(1)] Unabsorbed family planning promotion capital expenditure [section 36(1)(ix)] Unabsorbed depreciation [section 32(2)] Unabsorbed scientific research capital expenditure [section 35(4)] Unabsorbed development allowance [section 33A(2)(ii)] Current development allowance [section 33A(2)(i)] Unabsorbed investment allowance [section 32A(3)(ii)] Current investment allowance [section 32A(3)(i)] Indicate here unabsorbed Depreciation pertaining to period earlier to Assement Year 1982-83. F. 30% BOOK PROFITS U/S 115J Indicate here the Net Profit as shown in the Profit and Loss account prepared in accordance with Parts II 1. and III of Schedule VI to the Companies Act, 1956. 2. Adjustments: A. Please add the following amounts: the amount of income-tax paid or payable, or the provision therefor; The amount carried to reserves, by whatever name called (bther than the reserve specified in section (ii) 80HHD or sub-section (1) of section 33AC); the amount set aside to the provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities; (iii) the amount by way of provision for losses of subsidiary dompanies; (iv) the amount of dividend paid or proposed; (v) the amount of expenditure relatable to income exempt under Chapter III of the Income-tax. Act, 1961; (vi) the amount withdrawn from reserve created under section 80HHD but has been utilised for any (vii) purpose other than that referred in sub-section (4) of section 80HHD; the amount withdrawn from reserve created under section B0HHD to the extent such amount has not (viii) been utilised in the period specified in sub-section (4) of section 80HHD; the amount deemed to be the profits under sub-section (\$) of section 33AC. (ix) B. Please deduct the following amounts: the amount withdrawn from reserves or provisions (other than reserve under section 80HHD); (i) the amount of income to which any of the provisions of Chapter III of the Income-tax Act, 1961 applies; the amounts attributable to the business, profits from which are eligible for deduction under section (ii) (iii) 80HHC and 80HHD. **y** the amount of loss or the amount of depreciation which would be required to be set off against the (iv) profit of the relevant previous year as if the provisions of clause (b) of the first proviso to sub-section (1) of section 205 of the Companies Act, 1956 are applicable. Indicate the aggregate amount of adjustments separately under the Addrand Deduct columns. 3. Book Profit (i.e. balance after adjustments of 1 and 3) should be indicated here. 4. Indicate here 30 per cent of the Book Profit computed at 4 above. 5. G. STATEMENT OF TOTAL INCOME Give here the net amounts chargeable to tax under different Heads of Income against items A to D. These should be same as shown against item. A.8 at page 1, Item B. 12 at page 2 and Items C.16 and D.5 at page 3 respectively. The net result of A to D (after considering provisions of Section 71 of the Act) should be indicated here. 2. 1. Indicate here the total amount of unabsorbed losses/allowances brought forward from earlier years 3. and claimed as set off as shown against item E at page 4. Indicate here the resultant amount i.e. difference of item 2 and \$ 4 The deductions claimed under Chapter VI-A should be Indicated here. The aggregate amount of 5 1. these deductions should be shown in the Total. Please give the computation of the gross amount of payment/contribution, the qualifying amount and the net amount of deduction claimed. If the space provided is insufficient, give the computation on a separate sheet and attach that to the Return.

Please also attach proof of payment/contribution to support the claim.

III.

The eligible deductions under Chapter VI-A relate to:

- Donations to certain funds, charitable institutions, etc. Donations to certain funds, charitable institutions etc. are eligible for deduction under section 80G if the aggregate thereof exceeds Rs.250/ (i) -. The over all ceiling limit is 10% of gross total income (as reduced by the amount on which no tax is payable or with reference to which the taxpayer is entitled to any deduction under Chapter VI-A) (Section 80G).
- Donation for scientific research, rural development or conservation of natural resources. Deduction (ii) in respect of certain donations for scientific research or rural development or conservation of natural resources is available at 100% under Section 80GGA.
- 20 per cent, of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in (iii) backward areas subject to certain conditions (Section 80HH).
- 20 per cent, of profits and gains from newly established small scale industrial undertakings in certain  $\{iv\}$ areas subject to certain conditions (Section 80HHA).
- 50 per cent, of profits and gains from projects outside India subject to certain conditions (Section (v) 80HHB).
- 100 per cent, of profits and gains derived from export of specified goods or merchandise if sale (vi) proceeds are receivable in convertible foreign exchange subject to certain conditions (Section 80HHC).
- Income of approved hotels or of travel agents or of tour operators for services provided to foreign tourists if receipts are in convertible foreign exchange to the extent of 50 per cent. of profits from such services plus balance of such profits of the relevant previous year as is debited to the profit and loss account and credited to a reserve account - subject to certain conditions and specified purposes (Section 80HHD).
- (viii) 20 per cent, of profits and gains from industrial undertakings set up after 31.3.1981 subject to certain conditions (Section 80!).
- (ix) Deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or ships or hotel business in certain cases (Section 80J).
- 33-1/3 % of profits and gains derived from the business of poultry farming (Section 80JJ).
- (xi) 60 % deduction in respect of certain intercorporate dividends (Section 80M).
- Deduction in respect of royalty, etc. from certain foreign enterprises (Section 80-O).
- The total income chargeable to tax (4-5) is to be given here. 6.
- Indicate thirty per cent of the Book Profit computed under section 115J as shown, against item F5 at 7. page 4
- INDICATE HERE THE TOTAL INCOME AS PER ITEM 6 OR 7 ABOVE WHICHEVER IS HIGHER IN VIEW 8. OF PROVISIONS OF SECTION 115J
- Mention here the total income, as rounded off to the nearest multiple of ten rupees, both in figures and words 9. in the manner provided.
- Give details on a seperate sheet if any income is chargeable to tax at a special rate e.g. under section 115BB 10. in respect of winnings from lotteries etc. or at a maximum marginal rate under any other provision of the Act.

Income arising to other persons and included in the assessee's total income is to be given here. **♦**11.

### Page-5

### Part-II

### STATEMENT OF TAXES

- The total tax payable on the total income is to be given here. 1.
- Give here interests chargeable for late filing of return, default in payment of advance tax or deferment of 2, advance tax separately. These should be computed in the manner laid down in sections 234A, 234B and
- The total amount of tax and interest payable (1 + 2) is to be indibated here. 3.
- Give the particulars of (A) advance tax instalments and (B) tax deducted /collected at source in the respective 4. columns provided for the purpose.
- Give details of the tax and interest paid on self assessment (i.e. before filing the return) and also attach 5 challan(s) in support of the amounts so paid.
- Other pre-paid taxes, if any, are to be indicated here. Please at ach proof of such payment. 6.
- The sum total of tax / Interest paid is to be given there (i.e.4+5+\$). 7.
- The NET TAX PAYABLE OR REFUNDABLE, as the case may be, is to be indicated here. For indicating 8. refund, precede it by a minus (-) symbol.

#### Part-III

### A. INFORMATION RELEVANT TO BUSINESS OR PROFESSION

(a) Give full name(s) and address(es) in which the business/profession is carried on. If the space provided is insufficient, please mention such name(s) and address(es) on a separate sheet and attach that to the return.

(b) Give full name(s) and address(es) of the branch(es).

- (c) In case of a business, please specify whether it is Trading/Manufacturing/Wholesale/Retail sale/Export/ Import etc. and the main item(s) dealt with. If profession, mention the name of the profession.
- (d) Please mention whether it is 'cost'or'market price 'or 'otherwise'. If 'otherwise' give its name and method.
- Give full name(s) and address(es) of Managing Director/Principal Officer/Secretary of the Company.

### B. INFORMATION REGARDING TAX DEDUCTED / COLLECTED AT SOURCE BY THE COMPANY.

- Indicate here the Tax Deduction Account Number of the assesee Company.
- 2. Give here the name of the TDS Circle with which return(s) regarding tax deducted/collected at source by it has been filed.
- $rac{4}{35}$  (a) Tick the section (s) under which tax has been deducted/collected at source.
  - (b) Give here the amount (s) of tax deducted at source under the relevant section(s) during the period for which return of Income/loss is being filed by the assessee company.
  - (c) Give here the date (s) of filing of the prescribed return(s) of the tax deducted at source with the T.D.S. Circle.

### Page-6

## C. AMOUNT DEDUCTED IN COMPUTING INCOME FROM PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION

- I. Give here specific particulars of the deductions claimed in computing income from Profits and gains of Business or Profession. If a deduction in respect of Investment DepositAccount is claimed, please attach necessary certificate(s).
- II.Please indicate in the space provided deduction claimed on account of Depreciation. Use the remaining space for indicating deductions admissible in relation to:

			item	Section			l πem	Section
	(i)	Inves	tment allowance	32A	(x)	Amorti	zation of preliminary expenses	35D
	(ii)	Inves	tment Deposit Account	32AB	(xi)	Expen	diture on prospecting for	
	(iii)	Deve	lopment allowance	33A	:	certair	minerals	35E
	(iv)	Tea [	Development allowance	33AB	(xii)	Bonus	to employees	36(1)(ii)
,	(v)	Reha	bilitation allowance	33B	(xiii)	Interes	t on borrowed capital	36(1)(iii)
	(vi)	Expe	nditure on scientific research	35	(xiv)	Bad de	bts	36(1)(vii)
	(vii)	Expe	nditure on acquisition of patent		(xv)	.Enterta	ainment expenditure	37
		rights	or copyrights	35A	(xvi)	Expen	diture on:	
	(viii)	Expe	nditure on know-how	35AB		(a)	advertisement	37
<b>ĕ</b> n	(ix)	Paym	nent to association and institution:			(b)	ravelling	37
:		(a)	for carrying rural development					
			programmes	35CCA			- -	
		(b)	for carrying out programmes of					
		. ,	conservation of natural resources	35CCB		. 1		
							1	

### Part-IV

### INCOME CLAIMED EXEMPT

Income claimed exempt should be indicated here. For such item of income claimed exempt please specify its nature, the amount claimed exempt and the reasons for the claim.

### Part-V

### LIST OF DOCUMENTS/STATEMENTS ATTACHED

Give here complete particulars of documents/statements attached to the return of income.

#### VERIFICATION:

Read the instructions below the verification carefully before signing. It is to be signed by the person specified in section 140(c) of the Income-tax Act, 1961. Fill all the relevant columns in the verification. Give the place and date as indicated. Please attach the document of power of attorney alongwith the return, wherever necessary.

(V. K. Saksena)
Under Secretary to the Government of India
No. F No. 133/404/90-TPL

मारत के राजपत्र, असाधारणा, माग 2, लण्ड 3, उपलण्ड (ii) तारील - 2-1---नवम्बर, 1990 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार विच मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय प्रत्यदा-कर बौर्ड

नहीं दिल्ली, २। नवम्बर, 1990

अधिसूचना वाय-कर्

का आ -(अ) केन्द्रीय प्रत्यदा-कर बौर्ड, आय-कर विधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की घारा 295 द्वारा प्रदत्त शिक्त्यों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संश्लेषन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संज्ञाप्त नाम आय-कर ( - - संशोधन ) नियम, 1990 है।
  - (2) यै 14 दिसम्बर, 1990 कौ प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में प्रूब्प सं0 1 के स्थान पर निम्नलिसित प्रूप रंसा जारगा, अथार् :-

			ं फाम					्रसीद सं∘_			:
य विवरणी [नियम 12)	(1) (क) देखिए	 ]	<del></del>			-		ļ			
्धारा 11 (धारा 11	के अधीन सूट का दाव	ा क <b>रने वा</b> ली	कम्पनियां से भि	त्र कम्पनियां के	लिए]	,		तारीख		<del></del>	
				 से पहले कृपय		्र टेप्पण क	ध्यानपूर	र्वक पढ़ें]			
	<u> </u>	<u></u>				ŀ	 निर्धारप	ग वर्ष 19			
पूल/संशोधित/धारा 142 (1)			ح <u>ب ج</u> و ملکن میت			:	ji.				
नदि संशोधित विवरणी है तो	मूल विवरणा		ो लेखा संख्याव गई,आर.सं.	<sup>5</sup> /							
भाइल करने की रसीद संख्यां	क्र और तारीख	্থা,ত	ं वार्ड / ि	<del></del>			-				
		19	सर्किल ८							<u></u>	
नाम (स्पष्ट अक्षर्य में)	····	_ <del></del> _	, (4)	*6.	प्रास्थिति 🖟			7. निवास	प्रास्थिति		
नाम (स्पष्ट अक्षय म)	· · ·	<del>                                     </del>	<del></del>	· . · ·				<u> </u>	-   1		
	() () () () () () () () () () () () () (		<u> </u>						_ _	_	
अर्थालय का पता(स्पष्ट अक्ष	π					:	. `				
श्वास्त्रम् मा नता (स्पष्ट अदः	* ''/ 	· 	<del>- [</del>	<u> </u>	T T	1		<del></del>		<del>-    </del>	
					<del>  -</del>	-  -	<u>                                     </u>		<del> </del>		
					<u> </u>	<u>√</u>		<u>.                                    </u>			
	•	. <b></b>	रलीफोन				पिन				
(ख) क्या कम्पनी का (ग) क्या प्रतिनिधि-निर्धी	धनकर के लिए निर्ध	रिण किया ग दाखिल की	ाया है? हाँ/न जा रही है? हाँ/	नहां (ji) <sup>दे</sup>	विदेशों से व उन देशों के स का नाम	करार≃के संबंध	अधीन जिनके	ः, साथ कोई व		्हों / महीं है हां/महीं	
(ग) क्या प्रतिनिधि-निधी	धनकर के लिए निर्ध	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनके भी है जो	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-निधी	धनकर के लिए निर्ध	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्शि (i) नहीं (ii) दे रंतर्गत अन्य व	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनके भी है जो	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रितिनिधि-निधो	धनकर के लिए निर्ध	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-निधो संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-निधो संपत्ति (सम्पतियों) का पता	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-नियों संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-नियों संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता वार्षिक भाटक मूल्य/वार्	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-निधो संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता  वार्षिक भाटक मूल्य/वर्ग  कैंड्स क) ख)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-नियों संपत्ति (सम्पतियों) का पता  वार्षिक भाटक मूल्य/वार्षि क्वार्यः क) ख) मद 3 का झोग अतिशेष (2-4)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	व्यदेशां से उन देशों के स का नाम युक्तियों क र्योलत किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-नियों संपति (सम्पतियों) का पता वार्षिक भाटक मूल्य/वार्ग क्टाइए क) ख) मद 3 का योग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म संपत्ति से	विदेशों से उन देशों के स्व का नाम यूक्तियों के पूक्तियों के पुलित किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
(ग) क्या प्रतिनिधि-नियों संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता  वार्षिक भाटक मूल्य/वर्गा  क्षेत्रस् क) ख) मद 3 का स्रोग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ (क) मरमत	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	र्ही (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म	विदेशों से उन देशों के स्व का नाम यूक्तियों के पूक्तियों के पुलित किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता वार्षिक भाटक मूल्य/वार्षि क्षेत्रस् क) ख) मद 3 का योग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ (क) मरम्मत (ख)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) नहीं (ii) दे  स्तर्गत अन्य व  आय में सम्म  संपत्ति से	विदेशों से उन देशों के स्व का नाम यूक्तियों के पूक्तियों के पुलित किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता वार्षिक भाटक मूल्य/वार्गि कोइए क) ख) मद 3 का ग्रोग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ (क) मरम्मत (ख) (ग) (घ)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्म संपत्ति से	विदेशों से उन देशों के स्व का नाम यूक्तियों के पूक्तियों के पुलित किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
संपति (सम्पितयों) का पता— वार्षिक भाटक मूल्य/वर्ग क्टाइए क) ख) मद ३ का झोग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ (क) मरम्मत (ख) (ग) (ध) (इ) (च)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) नहीं (ii) दे  स्तर्गत अन्य व  आय में सम्म  संपत्ति से	विदेशों से उन देशों के स्व का नाम यूक्तियों के पूक्तियों के पुलित किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
संपति (सम्पतियों) का पता वार्षिक भाटक मूल्य/वार्षि क्वांड्ए क) ख) मद 3 का झोग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ (क) मरमत (ख) (ग) (प) (ड) (च) (ड)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) नहीं (ii) दे  स्तर्गत अन्य व  आय में सम्म  संपत्ति से	विदेशों से उन देशों के स्व का नाम यूक्तियों के पूक्तियों के पुलित किए	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
संपति (सम्पतियों) का पता  वार्षिक भाटक मूल्य/वार्गि  क्षेत्रए  क)  ख)  मद 3 का ख़ोग  अतिशेष (2-4)  अन्य कटौतियाँ (क) मरमत (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) नहीं (ii) दे  स्तर्गत अन्य व  आय में सम्म  संपत्ति से	विदेशों से उन देशों के श्र का नाम युक्तियों के सिलत किए अगय	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता— वार्षिक भाटक मूल्य/वार्षि क्षेत्रस् क) ख) मद ३ का झोग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ (क) मरमत (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (ड)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी	रिण किया ग दाखिल की न भाग I आ	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्मि संपत्ति से  रु  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह	विदेशों से उन देशों के श्र का नाम युक्तियों के सिलत किए अगय	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
संपत्ति (सम्पतियो) का पता  वार्षिक भाटक मूल्य/वर्गा  होटाइए क) ख) मद ३ का य्रोग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ (क) मरम्मत (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (ङ) (ज) (इ)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिवरणी चैंक किराया	रिण किथा ग दाखिल की न भाग I आ निर्धारित	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्मि संपत्ति से  रु  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह	विदेशों से उन देशों के श्र का नाम युक्तियों के सिलत किए अगय	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			
संपति (सम्पितयो) का पता— वार्षिक भाटक मूल्य/वार्गि क्वांड्र क) ख) मद 3 का ग्लेग अतिशेष (2-4) अन्य कटौतियाँ (क) मरमत (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (ज) (ज) (ज)	धनकर के लिए निर्ध रिती के रूप में धिक्षरणी चैंक किराया के अधीन प्रभार्य आ	रिण किथा ग दाखिल की न भाग I आ निर्धारित	ाया है? हॉ/नः जा रही है? हॉ/ ं ाय जिसके अ ती की कुल	हीं (i) नहीं (ii) नहीं (ii) दे स्तर्गत अन्य व आय में सम्मि संपत्ति से  रु  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह०  ह	विदेशों से उन देशों के श्र का नाम युक्तियों के सिलत किए अगय	करार=के संबंध जिल्लाम जी आय जाने य	अधीन जिनक भी है जो प्य है	ः, साथ कोई व			

□ a	तारबार या वृत्ति (सहे के कारबार से भित्र)				- -	
ন ন	ताभ और हानि लेखा के अनुसार शुद्ध ताभ/हानि					
	भायोज <b>न</b>	जोड़िए	1		· कटौती कोजिए	·
7			<b>35</b> 01.1		<b>*</b>	
•						
-						
				_	<u> </u>	
₹\						
			₹•		<u>₹</u>	
•			रु			
			X-			
	t	·	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
			<u>*</u> ₹°	+		
3.	समायोजनें का योग				. <u> </u>	
4.	उपर्युक्त 1± 3 के समायोजनों के बाद अतिशेष				शुद्ध लाभ/हानि	
-5.	रजिस्ट्रीकृत फर्म (फर्मी) के लाँभ/हानि में अंश					
6.	लाभ/हानि में अंश अर्राजस्ट्रीकृत फर्म		<u>.</u> £0			
	व्यक्तियों का संगम		रु∘			
	व्यप्टियों का निकाब		£°		" योग	
7.	(सट्टे के कारबार से भिन्न) कारबार या वृत्ति से प्रधा	र्य अगय		· /	an.	
	(अर्थात् 4, 5 और 6 का परिणाम)	V a				
₽8.	सट्टे का कारवार: लाभ और हानि लेखा के अनुसार					
	शुद्ध त्ताभ/हैतनि	•	•	_		
9.	समायोजन	जोड़िए		Ŧ.	घटाइए	_ ·
		············	·	ŀ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
			<u>, </u> ₹°		<sub>.</sub>	0
		<del> </del>	₹∘ ၞ	7		
			₹0			٥
		,	₹•			·
	समायोजनी का योग		V		. :	
11.	सट्टे के कारवार से प्रभाव आय (8 ± 10)	u A		!		
12.	कारबार या वृत्ति से शुद्ध प्रभार्य आय (7+11)	7				
	the second secon					

	अल्पकालिक आस्तिया	दीर्घकालिक आस्तियां
	अल्पकाालक आस्तवा	पालनगरान आरान
, अंतरित आस्ति को विशिष्टियां		
, अर्जन की तारीख़		
, अंतरण की ताधिख '		
, अन्तरण से पूर्व आस्ति कितने मास तक घारित की गई		
. अन्तरण का ढेंग		
. प्रतिफल का पूरा मूल्य	<u>*************************************</u>	<u>*************************************</u>
. कटौतियाः	gradient de la company	3
(i) अर्जन की लागत 🧚	<u> </u>	
(ii) सुधार की लागत	<u> </u>	
(iii) अन्तरण की लागत		<u> </u>
ः कटौतियों का योग	Fc	₹∘
9. अतिशेष (6-8)	<del>_</del>	<u> </u>
). घटाइए-अन्य कटौती (कटौतियां)	₹∘	
I. अतिशेष (9-10)	₹∘	<u> </u>
. जोड़िए/घटाइएः	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
वह रकम जो पूजी अभिताभ (घरा 50 के अधीन से भिन्न) समझी गई है। (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (क) (ख)	<del>\</del> <del>\</del>	
. योग [12(क)+12(ख)]		<u></u>
. योग [12(य))+12(ख)] 4. योग [11±12]	₹•	
. चारा [ रा ± 12 ] इ. घारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		
·	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_		तुक 16/12 <b>से</b> 31/3 तक
धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूजी अभिलाष अन्य अल्पकालिक पूजी अभिलाभ		₹° ₹°
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	——————————————————————————————————————	-F°
योग	<del></del> हо <u></u>	<u>£</u> 0 <u></u>
		कुल योग
• •		
	ध, अन्य स्त्रोतों से	आय
ै(क) लाभारा		<b>.</b> 60
(ख) ब्याज		₹°
(ग) लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ आदि से जीत		₹0
(घ) मशीनरी, संयंत्र, भवन आदि से प्राप्त किराए आय	की	70
ः । (ङ) अन्य ः,		<b>Te</b>
. 1 (क) से 1 (ङ) तक का योग	•	The state of the s
. घटाइए: कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
अवक्षरण १००० १		
	<del></del>	
4. कटौतियों का योग		.5 <sup>ω</sup> <sub></sub>
•		<u> </u>
5. अन्य स्रोतों से शुद्ध प्रभार्य आय (2-4)	·	
1	1	
•		

	34-85	85-86	निर्धारण पशि (रु अ के	87-88 ad	88-89 T कही	89-90	1	प्राप सी	ज़ानेवाली ाया (रु°)	निर्धारित		छली कि क्या रही है रही है (हॉ/ नहीं
	i		विर्धारण यशि (रु	बर्ष •) अधी-	न बही		भ क		0 %			रहा है
	i		विर्धारण यशि (रु	बर्ष •) अधी-	न बही		भ क	T 3				(हाँ/ नहीं
	i		विर्धारण यशि (रु	बर्ष •) अधी-	न बही		भ क	1 3				
	i		विर्धारण यशि (रु	बर्ष •) अधी-	न बही		भ क	30				
		1153	यशि (ह	•) अधी-	io	त्नाभ		T 3				
ਚ.		1153	यशि (ह	•) अधी-	io	लाश		1 3				
ਚ.		1153	यशि (ह	•) अधी-	io	लाभ		T 30				
ਬ.		1153	यशि (ह	•) अधी-	io	लाभ		T 3				
ਚ.		1153	यशि (ह	•) अधी-	io	ला॰		T 3(				
ਚ.	धारा	1153	यशि (ह	•) अधी-	io	लाभ		36				
ਬ.	धारा	1153	यशि (ह	•) अधी-	io	लाभ		T 3(				
ਚ.	धारा	1153	यशि (ह	•) अधी-	io	ला॰		7 30				
ਚ. 	धारा	1153	यशि (ह	•) अधी-	io	ो ला१		3(				
ਚ.	धारा	1153	यशि (ह	•) अधी-	io	ो ला१		<b>T</b> 30				
ਚ.	धारा 	1153	ज के ्र	अधी- - - - -	io	ी ला१		3(				
ਬ. 	धारा 	1153	a	·	io	ो ला१		3(				
٠. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		115	a	·	io							
			्र जोड़िए		50		घटाइए		₹° 			
			जोड़िए		50		घटाइए		₹° 			
					50				₹° 			·
				\$\$ \$\$ \$\$	io				₹°			
				5 5	io				₹°			
				<del></del> ₹	ie				<u> </u>			
<u> </u>				₹	,			1				
			<del></del>	₹	·							
				<u></u> ₹				+	<u></u> ₹°			
					,,,				<u>,</u> ₹°			
						,	बही ला	F .		_		
						_					<del></del>	
		छ.	कुल	आय	का रि	विवर्ण	ग		•			
				٠,	(177	क्त. 8)						
्र अभिलाभ						জ. ৪) ব্রে. 12)	e e		_			
^ ,			`			୩. 16)	ļ		~			
Р				-0	(भद	ष. 5)						
				7 1							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ার					(मद :	<b>ਣ</b> )	Ţ	.				
	`			• .			77	-				
हटौतियां	•		•				٠.					
		• • –		<del>.</del>		<u></u> ₹°	٠ إ	. '				
a	•	_				ह°	ſ	.			•	
`		_				₹•	.					
		_				<u> </u>	- 1					
		_				—₹°						
		_				₹° .						
				¥					. यी	ग् !		
का 30%					(ਸਟ ਚ.	5) 4						
					( 1 -11			44.4			·,	
उच्चतर)					3							
										******		
a with ( )						erra		_	क्षीत्रका	أجمعت		ईकाई
							- QP1	"\		~615		र्यगर
								!_				
6		या ७ में	या ७ में	का 30% या ७ भें	्र का 30% या 7 में	का 30% (मद छ. या ७ में	रुः	स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व		्रा 30% (मद च. 5) या 7 में च्चतर्)		हैं।

1. कुल आय पर कर			<b>-</b> .		
	(क) विशेष दरों से (ख) सामान्य दरों से		<u> </u>	, योगः	
2. जोड़िएः	. 6	•			
(क) बिलंब से विवरणी फाइल क	रने पर याज	·	—— <u> </u>	₩ '	
(छ) अभिरम कर के संदाय में ब (ग) अग्निम कर के आस्थान के	यातक्रम पर व्याज लिए व्याज		<u>**</u>	योगः	
<ol> <li>संदेव कुल कर और व्याज (1)</li> </ol>	1+3)			•	
1		ं कर की किश्तें (चाला	न संलय कोजिए)		-
4. पूर्व संदत्त कर	पहली १	दूसरी	तीस		योग
			and a state of the		
(,					
रकम (रु॰)				<del>-</del>	
तारीख	ů				
ું તાલુલ		· \			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
्रविक का नाम			- 1		
शाख।			•		
1			·		
(ख) स्रोत पर कटौती/संग्रहीत वि	क्या गया कर [प्रमाणपत्र संल	स्य कींजिए]	1 1	•	
(क) व्याज	•				
ं (ख) लाभांश					
(ग) धारा 206 ग के अधीन (घ) कोई अन्य मद (कृपया विर्	नर्टिए करें)				
(छ) योग [(क) से (घ)]	THE MILY	*			
(4) 11 ((4) (1 (4))				•	
<ol> <li>स्वतः निर्धारण पर कर (चालान प्र</li> </ol>	संलग्न कीजिए)			कम	
			į .		
		;		,	स्रोत
'संदाय की तारीख		आयकर .	उपयुक्त 2	क़े अनुसार	्योग
			इस	জ - ·	.
	19				
T	<del></del>	· ₹	<u> </u>		
17	:		1. 1.		
the state of the state of the state of	- ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			'b .	م يونونيسو
6. अन्य पूर्व संदत्तकर, यदि कोई हो	;		1 1		<u> </u>
	,		1 1	: <u>-</u>	
7. योग (4 से 6) 8. संदेय या प्रतिदेय शुद्ध कर (3 व	और 7 का अंतर)			`	₹≎
The right of which the control of th	are an amount				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			, , , ,		
	भाग-॥ क	कारबार या वृत्ति से	सुसंगत जनकारी		
१- सामान्य विशिष्टियो :				•	
				•	T
1- सीमान्य विशिष्टियो : (क) जिस नाम से कारवार या :				•	
१- सामान्य विशिष्टियो :	वृत्ति चलाई जाती है।		गखाओं के नाम और प	•	<u> </u>
1- सीमान्य विशिष्टियो : (क) जिस नाम से कारवार या :				•	<i>y</i>
1. सामान्य विशिष्टियो : (क) जिस नाम से कारवार या	वृत्ति चलाई जाती है।		गखाओं के नाम और प	•	<i>y</i>
1- सीमान्य विशिष्टियो : (क) जिस नाम से कारवार या :	वृत्ति चलाई जाती है।		ाखाओं के नाम और प	•	<i>F</i>
1. सीमान्य विशिष्टियो : (क) जिस नाम से कारवार या	वृत्ति चलाई जाती है।	(ন্ত্ৰ) খাজা / খ	ाखाओं के नाम और प	•	
1. सामान्य विशिष्टियो : (क) जिस नाम से कारदार या : (ग) कारदार या, वृत्ति की प्रकृति	वृत्ति चलाई जाती है।	(ন্ত্ৰ) খাজা / খ	ाखाओं के नाम और प	•	
1- सामान्य विशिष्टियां : (क) जिस नाम से कारदार या विशिष्टियां : (ग) कारदार या वृत्ति को प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नलिखित अधि	वृत्ति चलाई जाती है।	(ख) शाखा / श	गखाओं के नाम और प	ता / पते	<i></i>
1. सामान्य विशिष्टियो : (क) जिस नाम से कारदार या : (ग) कारदार या, वृत्ति की प्रकृति	वृत्ति चलाई जाती है।	(ন্ত্ৰ) খাজা / খ	गखाओं के नाम और प	•	<i></i>
1- सामान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या विशिष्टियां (ग) कारवार या वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नतिखित अधि प्रवंध निदेशक	वृत्ति चलाई जाती है।  : कारियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (घ) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी	गंकन की पद्धति	ता / पते	<i></i>
1- सामान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या विशिष्टियां (ग) कारवार या वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नतिखित अधि प्रवंध निदेशक	वृत्ति चलाई जाती है।  : कारियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (घ) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी	गंकन की पद्धति	ता / पते	<i></i>
1- सीमान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या (ग) कारवार या वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नलिखित अधि प्रवंध निदेशक	क्रियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (घ) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी	ाखाओं के नाम और पर गिए कर के संबंध	सचिव	
1- सामान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या विशिष्टियां (ग) कारवार या वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नतिखित अधि प्रवंध निदेशक	क्रियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (घ) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी	ाखाओं के नाम और पर गंकन की पद्धति गए कार के संबंध	ता / पते	
1- सीमान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या (ग) कारवार या वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नलिखित अधि प्रवंध निदेशक	क्रियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (घ) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी	ाखाओं के नाम और पर गिए कर के संबंध	सचिव	
1- सीमान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या (ग) कारवार या वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नलिखित अधि प्रवंध निदेशक	क्रियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (घ) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी	ाखाओं के नाम और पर गिए कर के संबंध	सचिव	
1- सीमान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या (म) कारवार या वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नलिखित अधि प्रवंध निदेशक  रख	क्रियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (ध) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी कटोती/संग्रहीत किए	गए कर के संबंध	सिंचव संचिव में सूचना डी.एस. सर्किल का नाम वि	समें विवरणी फाइल की
1- सामान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या (ग) कारवार या, वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निप्रलिखित अधि प्रवंध निदेशक  क्म्पनी के कर-कटोती लेखा संश	क्रियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (घ) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी	ाखाओं के नाम और पर गिए कर के संबंध	सचिव	समें विवरणी फाइल की
1- सामान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या (ग) कारवार या, वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निप्रलिखित अधि प्रवंध निदेशक  क्म्पनी के कर-कटोती लेखा संश	क्रियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (ध) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी कटोती/संग्रहीत किए	गए कर के संबंध	सिंचव संचिव में सूचना डी.एस. सर्किल का नाम वि	समें विवरणी फाइल की
1- सीमान्य विशिष्टियां (क) जिस नाम से कारवार या (म) कारवार या वृत्ति की प्रकृति (ङ) कम्पनी के निम्नलिखित अधि प्रवंध निदेशक  रख	क्रियों के नाम और पते	(ख) शाखा / श (ध) स्टाक मूल्य प्रधान अधिकारी कटोती/संग्रहीत किए	गए कर के संबंध	सिंचव संचिव में सूचना डी.एस. सर्किल का नाम वि	समें विवरणी फाइल की

	•					<del></del>	<u> -</u>		
	विशिष्टया			कम (रु॰)	<u>ක</u> ්	शष्ट्रयो -	<u> </u>	रकम	(रु∘)
	(क) अवश्वयण	1			(छ)			:	. <u> </u>
	(ড়া)		•		(য)		1.		
	(ख) (ग)			•	(झ)				
	(ম) (ঘ)				(ন)	ļ.			
	(জ) (ঙ				(ट)		1	<u> </u>	
	( <del>च</del> )	4			_ (ਰ)	•		<del></del> -	
3	(7/	<sup>‡</sup> भाग	IV -आय	जिसके लिए	छूट का	दावा किय	। गया है		
	आय की प्रकृति			रकम (रू	(0)		दावे के वि	लेए कारण	
	(क)		•						
	(ন্তু)								
	(ग)						n .		
	(ঘ) .			•		<b>.</b>	1		
	(ङ) 						<u> </u>		
			भाग 🗸	/ संलग्न दस्ता	वेजों / विवर्ष	णों की स	ची 🚶		-:
	( <del>क</del> )	£.	1		(च) <sup>'</sup>		:		
	(ख),				(छ)		; }		•
٠.	. (ग)		`		(জ)	- ·	1		
	(ঘ)				(झ)	, I ;			
	(ङ)				(ন)				
	_				(5)	i			
				सत्या					·
में,		***********					। स्पष्ट अक्षरों में प	(रा नाम) जो	
का पुत्र	र/की पुत्री/पत्नी अं						!a	r	
				(कंपनी का नाम)	)				(पदन
		से विधिमान्य म्	युद्धारनामा <b>धारण</b>	करता हूं, सत्य नि	ष्टा से घोषणा व	हरता / <b>करि</b> तो ः	हूं कि इस विवरण	<b>ी औ</b> र इससे संल	प्र उपबन्धों
	पनी का नाम) में दी गई जानकार्र	भी गर्नेमा स	त और विशास	के अस्तास सही :	fec & dues rfec		 		<del></del>
राजनेख	सही-सही किया गर	। नर संपातन सः ॥ है और ये निध	ाग आराजवास । रिणा वर्ष १९ '	का अनुसार सहा इ	क्षार पूजा ६ जा			। रकम आर अन्य पूर्व वर्ष (वर्षों) वे	
	र् रेसत्यनिष्टा से या						a gara	रूप पप (पपा) प	ा राजाय न
	(क) कंपनी की उर	१ जानका नाय उकेनाम में यादि	ग्राम, प्रश्रा हू केसी अन्य व्यक्ति	ानः उन्तः नून नः त के नाम में धारित	न (प्रमा) क (किसी आस्ति )	से कोई अन्य	। । आयन तो प्रोट	भत हुई है. न उट	भत हुई है
	्रन प्राप्त हुई	ह;					i		
	(ख) किसी अन्य व						कर अधिनियम,	1961 के अधीन व	कर प्रभार्य
	सत्यनिष्ठा से यह						I .		
(	(क) उस व्यक्ति	हो, जिसकी कुल	आय के संबंध	में कम्पनी निर्धारण	ोय है, उस व्य	क्ति के, जिस	की कुल आय वे	<b>5</b> संबंध में कम्पनी	निर्धारणीय
	नाम में, या	केसी अन्य व्यक्ति	त के नाम में धा	रेत किसी आस्ति से	ने, कोई अन्य ३	भाय न निप्रो	द्भूत हुई है, न	उद्भूत हुई और न	प्राप्त हुई
. 1	(ख) किसी अन्य	व्यक्ति की आय	ं सहित ऐसी को	ोई अन्य आय नही	ीं है जिसकी ब	वाबत उस व	क्ति पर, जिसव	ही कुल आय की	बाबत क
4				के अधीन कर	प्रभार्व है।				
मय	हि भी घोषणा करता	/करता हू कि में	*******				) 		
ਵੀ <i>ਵੈ</i> ਇ	ायत <sub>्</sub> में कम्पनी व	ते और से स्टिस	मार्गि हैमार करने	। और स्टेंग	ਜ਼ਿੰਜ ਜ਼ਾਮੇ -}-	- L	(पदनाम)	•	
איר לפול	स्थापना । स्थापना । स्थापना । स्थापना । स्थापना । स्थापना । स्थापना ।	" OUT G 199	V-11 VIMIC MICT	ार वस संस्था	।च्या फर्य केः ं¦	KIN HAH	<u>گ</u> ا		
					. 4 .			** <del>======</del>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(थान:	* • • •							**हस्ताक्षर	
तारीखः			i						
				<del></del>	. 9		<del>'</del>	<del></del>	
	लागू न हो उस						4		_
	ाणा पर हस्ताक्षर क								
'		· 011 '''r	7: 27: 12:200	. 171 -2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		- 1990 <b>- 19</b>	मार्थमा जार्था ज	नाम अस्तराज्यों अर्थ	
	ी प्रकार से पूर्ण हैं धारा 277 के अध								

## प्ररूप सं॰ 1

	े टिप्पण	आयंकर अधिनियम, 1961/नियम 12(1)(क)]
(निध	रिती द्वारा अलग कर लिया जाए और रख लिया जाए)	कार शीर्व के अधीन उपसंधित स्त्रकों
_	( )	इपदर्शित किया जाना चाहिए। इसी प्रका
्रक्षेमान है	य प्ररूप सं॰ 1, धारा 13 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के	
I	प्रश्र सं ।, भार ।। के अथन छूट का दावा करने नाता करनाता से एक उपनाता के सभी भाग और स्तंभ इसके नीचे उपनेधित रीति से भरे जाने चाहिए। यदि कोई भाग या स्तंभ लागू न हे	तो कृपया 'लागू नहीं होता' उल्लिखित करें और कोई अन्य
**	चिन्हं या प्रतीक न लगाएं।	I ]
III	इन टिप्पणों में प्रत्येक पृष्ठ के नीचे जो संख्यांक दिए गए हैं वे आय की विवरणी के संबंधित	
IV	यदि किसी आय शीर्ष के अंतर्गत दियाँ गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है तो विवरणी प्ररूप में सुसंग प्रयोग करते हुए, ऐसे प्रत्येक आय स्रोत के बारे में संगणना अलग कागज या कागजों पर हुए। प्रकार व जानकारी जो स्थान की कमी के कारण नहीं दी जा सकती है किसी अलग कागज पर दो उ	गई संगणना की राशि का योग विवरणी प्ररूप में मांगी गई 🗼 🛴
V	इन टिप्पणों में घाराओं और नियमों के जो निर्देश हैं वे क्रमशः आयंकर अधिनियम, 1961 और आयंक	नियम, 1962 की धाराओं और नियमों के प्रति निर्देश हैं।
98 .		
	जो लागू न हो उसे काट दें। यदि यह विवरणी निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए है और पहली बार प करने के लिए "मूल" को छोड़ दें और बाकी काट दें, जैसे—	गड़ल की जा रही है तो यह मूल विवरणी है। यह उपदर्शित
Ð	मूल/संशो <del>धित/भार 142(1) (३/148/237 के अधीन</del> इस प्रकार घारा 142(1)(i) के अधीन उपदर्शित करने के लिए 'मृल' और घारा 142(1)(i) के अधीन को छोड़ दें और वाकी	हो कोट दें।
2.	वह निर्धारण वर्ष उपदर्शित करें जिसके लिए विवरणी फाइल की गई है। (निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष व 1.4.1989 से 31.3.1990 की अवधि के लिए निर्धारण वर्ष 1990-91 होगा।	ह ठीक पश्चात् के बारह मास की अवधि का है। इस प्रकार
3.	र्याट यह संशोधित विवरणों है तो, पहले मूल विवरणी की रसींद संख्या दे और तब उसे फाइल करने फाइल की गई है और उसके लिए विभाग ने रसींद सं 4210 जारी की है तो उसे खानों	
~/_	4 2 1 0 15 — 0 6	1 9 9 0
4.	करदाता को दिए गए स्थायी लेखा संख्या और वार्ड/सर्किल/रेज 😝 यहाँ लिखा 🗺 जाएगा। याँ	यह इस प्रकार अभी निहीं दिया गया है तो जी॰आई॰आर॰ 🖊 🚓
	संख्यांक यदि कोई हो, उपदर्शित करें। यदि दोनों नहीं दिए गए हैं, तो क्रिक्स खानों की पहली पंरि जन-संपर्क अधिकारी से या प्राप्ति काउंटर से सुनिश्चित करने के पश्चात् खानों को निचली पंक्ति में, ज का उल्लेख करें।	
5.	कम्पनी का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें। प्रत्येक वाक्य खण्ड के पश्चात् एक खाना खाली छो	इ दें उदाहरणार्थ—गोल्डेन सिन्थेटिक्स लिमिटेड
	गों हुडे न सि न्ये टि क्स	िति मि टेड
	विसी	
6.	प्रास्थित सूचित करने के लिए कृपया निम्नलिखित में से किंड का प्रयोग करें:—	·
^	देशी कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है	12
/	<ul> <li>कोई देशी कम्पनी जो ऐसी कम्पनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितवद्ध है और जो क् कम्पनी नहीं है</li> </ul>	यापारी कम्पनी या विनिधान - 13
	कोई देशों कम्पनी जो व्यापारी कम्पनी या विनिधान कम्पनी है और वह ऐसी कम्पनी भी है	
	हितबद्ध नहीं है। — देशी कम्पनी से मित्र कोई कम्पनी!	. 14
क्सी	— दशा पान्या स १५० पण्ड भागाः उदाहरणः यदिदृदेशी कम्पनी का मामला है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, सही क	
7.	निवास प्रास्थिति उपदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी कोड का प्रयोग करे।	+
	निवासी 01	
	अनिवासी 02 सुसंगत उपबंध धारा ७ में हैं। .	
8.	पिन कोड और दूरभाष संख्यांक सहित यदि कोई हो, पूरा पता लिखें।	
. 9	जो लागू न हो उसे काट दें।	

भाग 🛚 🗓 गृह सम्पत्ति से आय कृपया संपत्ति (संपत्तियों) का डाक का पूरा पता दीजिए। यदि निर्धारिती एक से अधिक संपत्तियों का खागी है तो कृपया उसका एक अलग कागज पर उल्लेख कीजिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न कीजिए। यहां वार्षिक भाटक मूल्य या प्राप्त/ प्राप्य वार्षिक किराया, इनमें से जो भी अधिक हो, उपदर्शित करें। यदि आप एक से अधिक गृह संपत्ति के स्वामी हैं, यहां उपदर्शित स्तभों को प्रयोग करते हुए कृपया ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में पृथक संगणना दें। यहां धारा 23 के अधीन अनुत्रेय कटौतियों का दावा कीजिए, जैसेः नगर पालिका कर-निर्धार्क्षी कटौती का तभी दावा करें जब वे (i) उसके द्वारा वहन किए जति हैं, किराएदार द्वारा नहीं, और (ii) वर्ष ुके दौरान संदत्त किए गए हैं। कृपया ऐसे संदाय का सबूत संलग्न करें। नव संनिर्माण मोक/सुसंगत उपबंध धारा 23(1) के दूसरे परंतुक में दिए गए हैं। कटौती की प्रत्येक मद, तद्धीन अधीन दावा की गई कटौती-योग्य रकम सहित अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें। यहां धारा 23 के अधीन दावा की गई कटौती की कुल राशि उपदर्शित की जानी है। 4. अतिशेष उपदर्शित करें (अर्थात् 2-4) यहां धारा 24 के अधीन कटौतियां उपदर्शित करें (प्रत्येक मद अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें) मैसे मरम्मत — निर्धारिती वार्षिक मूल्य के षष्ठांश का मरम्मत के रूप में हकदार है, यदि उसे कि**र्**एदार द्वारा वहन नहीं किया जाता है—धारा (i) 24(1)(i) बीमा = धारा 24(1)(ii) (ii) वार्षिक प्रभार-धारा 24(1)(iv) (iii) भूमि का किराया-धारा 24(1)(v) (iv) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज—धारा 24(1)(vi) (v) भ-राजस्व---धारा 24(1) (vii) (vi) संग्रहण प्रभार—(अनुज्ञेय परिसीमा, वास्तविक व्यय या वार्षिक भाटक मृत्य का .6 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम (vii) 24(1) (viii) रिक्त रहने का भत्ता—धारा 24(1)(ix) (viii) किराया जो वस्ल नहीं किया जा सकता—धारा 24(1)(x) यहां धारा 24 के अधीन दावा की गई कटौती की कुल राशि उपदर्शित की जानी है। यहां 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य शुद्ध आय (अर्थात् 5-7) उपदर्शित की जानी है। पृष्ठं 2 कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ . ŧĞ कारबार या वृत्ति (सट्टे के कारबार से भिन्न) कृपया आय की संगणना से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजीं/जानकारी 1. श्चिवरणी के साथ प्रस्तुत कीजिए:-विनिर्माण लेखा,व्यापार लेखा, लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र को लेखा-संपरीक्षित प्रतिमां और (यदि लागू) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

और लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट।

(i) यदि लेखाओं की संपरीक्षा धारा 44कख के अधीन की जाती है तो अभिक्षत विशिष्टियों सहित ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट। (क) П.

(ii) यदि निर्धारिती ने धारा 32कख, 33कख, १६५जक, 80जजग <del>आ 80जजम या 80जज़ुब्रु के अधीन कटौती का दावा</del> किया है तो ऐसी कटौती/कटौतियों के बाबत, अपेक्षित विशिष्टयों सहित लेखार्फ्स की रिपोर्ट (रिपोर्ट)। (क्री)

यदि धारा ४४कग, ४४ख, ४४खख, ४४खखक और ४४खखख के उपबंध नागू होते हैं, तो उनकी बाबत व्योरे दीजिए। संविदा कार्य में लगे निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी: यदि उस व्यक्ति द्वारा दी जानेवाली सामग्री का मूल्य, जिसके साथ संधिदा की गई है या जिसके द्वारा प्रतिधारित प्रतिभूति निक्षेप की रकम को (किए गए काम के लिए देय/संदेय में से) दर्शित सकल प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो कृपया सामग्री का मूल्य और प्रतिभूति निक्षेप की रकम दर्शित करने वाला ; 1:

चुहाचित्र फिल्मों के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी: कृपया यह उपदर्शित करें कि क्या चलचित्र फिल्मों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों को संदाय का ब्यौरा धारा 285ख के अधीन संबद्ध निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

- V. किसी व्यापारी, दलाल, अभिकर्ता या स्टाक या एक्सचेंज के प्रबंध से संबंधित कोई व्यक्ति, उन सभी व्यक्तियों के नाम और पतों का विवरण देगा जिन्हें उसने या एक्सचेंज ने पूर्व वर्ष में कोई राशि या संकलित राशियां संदत्त की हैं:
  - (क) अन्तर के रूप में 2,000/- रुपए से अधिक;
  - (ख) आस्तियों के अन्तरण के संबंध में 10,000/- रुपए से अधिक, चाहे वे आस्तियों के विक्रय, विनिमय या अन्यथा किसी के रूप में हो या जिसकी ओर से या जिससे उसने या एक्सचेंज ने कोई राशि प्राप्त की है, विशिष्टियों सहित (ऐसे संदायों और प्राप्तियों की रक्षम, तारीख आदि)।
- VI. यदि निर्धारिती ने पूर्व वर्ष के दौरान किराया, कमीशन, रायल्टी या दलाली या वार्षिकी क (जो 'वेतन' शोर्ष के अधीन निर्धारण योग्य वार्षिकी नहीं है) और जो एक हजार रुपए से अधिक है, संदाय किया है तो पाने वालों के नाम और पते तथा संदत्त रकमें दर्शित करते हुए (संदाय की प्रकृति के अनुसार) विवरणी के साथ एक अलग कागज पर अलग अलग विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि पाने वाला व्यक्ति अनिवासी है तो यह उपदर्शित किया जाना चाहिए कि वया कर की नीत पर कटौती की गई है और उसे केन्द्रीय सरकार के नाम जमा कराने के लिए संदत्त किया गया है या नहीं। कृपया 10,000/- स्मए से अधिक मूल्य के विक्रय और क्रय के मामलों में व्यक्तियों के नाम और सकल रकमों को अन्तविष्ट करने वाला विवरण भी संलग्न करें।

### लाभ और हानि लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ/हानि

यहां कारबार / वृत्ति (सट्टे के कारबार से भिन्न) से लाभ और हानि लेखा के अनुसार लाभ / हानि व उल्लेख कीजिए। जहां निर्धारिती का एक से अधिक केरबार या वृत्ति है, या किसी बन्द कर दिए गए कारबार / वृत्ति से हुई या समझी गई आय है कारबार है, वहां ऐसे प्रत्येक कारबार / वृत्ति के लिए हैं संगणना (इस उपभाग में दिए गए उसी प्ररूप का प्रयोग करते हुए), अलग कागज पर दी जानी चाहिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

### 2. समायोजनः

- क, कृपया ऐसी रकमों के परिवर्धन और कटौतियों <mark>को उपदर्शित कीजिए जिन्हें धारा 28 से 44ग तक के अनुसार लाभ/हा</mark>नि लेखा में समायोजित नहीं किया गया है।
- ख. कृपया विवरणी के साथ निम्नलिखित भी प्रस्तुत करें:
- 1. अवक्षयण मोक के संबंध में विशिष्टियां:
  - (क) आस्तियों के प्रत्येक ब्लाक की बाबतः
    - (i) पूर्व वर्ष के आरम्भ में उन आस्तियों का वर्णन जो ब्लाक का भाग हैं, उनका अवलिखित मूल्य, वर्ष के दौरान क्रय की गई आस्तियों का वर्णन और लागत तथा वर्ष के दौरान विक्रय की गई किसी आस्ति का वर्णन और विक्रय कीमत;
    - (ii) वर्ष के अन्त में अवलिखित मूल्य;
    - (iii) वह दर जिस पर अवक्षयण का दावा किया गया है और अवक्षयम की रकम।
  - (ख) उन आस्तियों का विवरण जो आस्तियों के ब्लाक का भाग हैं और वर्ष के दौरान गत-प्रतिशत अवश्वयण के लिए पात्र हैं। कृपया यह भी उल्लेख कीजिए कि क्या इन आस्तियों में से किसी का वर्ष के दौरान विकय किया गया था और यदि ऐसा है तो ऐसी प्रत्येक आस्ति की बाबत विक्रय कीमत का अलग-अलग ब्यौरा दीजिए।
  - (ग) उन आस्तियों का विवरण जो आस्तियों के ब्लाक का भाग हैं, जो विद्यमान हैं किन्तु जिनका अवलिखित मूल्य घटा कर सून्य कर दिया गया है क्योंकि किसी ऐसी आस्ति के अंतरण पर, जो ब्लाक का भाग है, वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिफल का कुल मूल्य, वर्ष के दौरान खरीदी गई उस ब्लाक की किसी आस्ति की लागत सहित वर्ष के आरंभ में उक्त ब्लाक के अवलिखित मूल्य से अधिक है।
- II. विनिधान भरा, विनिधान निक्षेप लेखा की बाबत विशिष्टियां :
  - (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए ऐसे पोत या वायुयान या प्लांट या मशीनरी का ब्यौरा जिसकी बाबत विनिधान मोक का दावा किया गया है और उसकी दर (शास्ति के अर्जन के समर्थन में सबूत भी संलग्न कीजिए)।
  - (ख) विनिधान निक्षेप लेखा स्कीम, 1986 के अनुसार विकास बैंक में किए गए निक्षेप (निक्षेप) का ब्यौरा। [धारा 32कख(1)(क)] निक्षेप (निक्षेपों) का सबूत संलग्न कीजिए।]
  - (ग) ऐसे पोत या वायुवान या प्लाट या मशीनरी का ब्यौरा जिसकी बाबत विनिधान निक्षेप लेखा के अधीन कटौती का दावा किया गया है। [धारा 32कख(1)(ख)] (क्रिय के समर्थन में सबूत संलग्न कीजिए)!
  - (घ) विनिधान निक्षेप लेखा स्कीम, 1986 या विनिधान निक्षेप लेखा स्कीम 1986 (चाय) के अनुसार निकाली गई रकम से खरीदी गई आस्ति का ब्यौरा [नई आस्ति के क्रय, यथास्थिति, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या र्पष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से निकाली गई रकमी और निकाले जाने की तारीख (तारीखों) से संबंधित सबूत संलग्न विजिए॥]
  - (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से निकाली गई रकम (रकमों) में से विनिधान निक्षेप लेखा स्कीम, 1986 (चाय) के अनुसार उपगत व्यय का, रकम का विभाजन और निकाली गई रकम (रकमों) की तार्रख (तारीखें) देते हुए, ब्यौरा।

जोड़िए और कटौती कींजिए वाले स्तंभों के नीचे समायोजनों की संकलित रकम अलग-अंलग उपदर्शित कीजिए। शुद्ध लाभ/हानि (अर्थात् 1 और 3 के समायोजनों के पश्चात् अतिशेष) यहां उपदर्शित किया जान चाहिए।

र्राजस्ट्रीकृत फर्म (फर्मा) के लाभ/हानि में अंश — स्थान एक फर्म से प्राप्त होनेवाले अंश को उपदिक्ति करने के लिए हैं। यदि निर्धारिती एक से अधिक रिजस्ट्रीकृत फर्मी में भागीदार है तो यहां उपदर्शित इन्हीं साम्भों का उपयोग करते हुए रिजस्ट्रीकृत फर्मी के लाभ/हानि में ऐसे अंश का अतग-अलग उल्लेख कीजिए और उसे विवरणी के साथ लगाइए। कृपया फर्म (फर्मी) में वैयन्तिक लेखा लेखाओं) की प्रति (प्रतियों) को भी संलय कीजिए। धारा 67 के उपबंधों के अनुसार 'रिजस्ट्रीकृत फर्म (फर्मी) के लाभ-हानि में अंश' के शीर्ष के अनुसार ब्यौरे भी कृपया संलय करें।

I. कृपया यहां दिए गए स्थान में अलग-अलग अर्जिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय के लाभ या हानि में अंश का उल्लेख कीजिए और इन सभी का कुल जोड़ बाहरी स्त्रंभ में ले जाइए (जो लागू न हो उसे काट दीजिए)। यदि दिया गया स्थान पूर्याप्त नहीं है तो अलग कागज का उपयोग कीजिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न कीजिए। यदि ऐसी आब यहां निर्धारिती की आय में अर्थात, धारा 86(v) के परन्तुक खब्द (क) में आने वाली आय शामिल नहीं की विवरणी के साथ संलग्न कर देना चाहिए। यह और कि यह भी किया जाना चाहिए कि उक्त अंश कुल आय में केवल कर के प्रयोजनों के लिये या अन्यथा सम्मलित किये जाने के लिये है। यदि कोई नुकसान है तो कृपया धारा 77(2) के अनुगत आने वाला नुकसानों को अपवर्जित कीजिये।

II. निर्धारिती को विवरणी के साथ निप्नलिखित भी प्रस्तुत करने चाहिए:--

- (i) यदि किसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म का भागीदार या किसी व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय का सदस्य हो ते ऐसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय में उसका/उसके वैयक्तिक लेखा (लेखे);
- (ii) बंद किए गए कारबार/वृत्ति से संबंधित पूरा ब्यौरा अलग कागज पर,
- (iii) धारा 32क / 32कख / 33कग / 80जजघ (5) के अधीन उसकी आय समझी जानेवाली रकम (स्कमों) का ब्यौरा।
- (iv) यदि किसी निर्धारिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 2(24)(x) में विनिर्दिष्ट किसी निधि के अभिदाय के रूप में किसी कर्मचारी से ऐसी आय प्राप्त की है जो ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष या ''अन्य स्नोतों से आय'' शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है तो ऐसी आय और इसके साथ-साथ धार 36(1)(vक) में उल्लिखित नियत तारीख को या उसके पूर्व, सुसंगत निधियों में कर्मचारी के लेखा में निर्धारिती द्वारा जमा की गई राशियों का व्यारा।
- III. यदि दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो ब्यौरा अलग कागज पर दीजिए और उसे विवेरणी के साथ लगाइए।
- 7. यहां 4, 5 और 6 का परिणाम [अर्थात् (सट्टे के कारबार से भित्र) कारवार/वृत्ति से परिणामी आय/हानि] उपदर्शित कीजिए।
- 8. सहे के कारवार से आय की रकम का उल्लेख कीजिए। यदि यह रिजस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय के अंश को प्रकट करती है तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और ऐसी रिजस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय का पूर्ण ब्यौरा, जैसे भागीदारों/सदस्यों के नाम, उनके लाभ बाटने के अनुपात और ऐसी रिजस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय में निर्धारिती के वैयक्तिक खाते की प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 9. ्र समायोजनः कृपया उन रक्षमों के परिवर्धन और कटौतियों को उपदर्शित कीजिए जिन्हें या तो लाभ/हानि खाते में समायोजित नहीं किया गया है, या यदि समायोजित किया गया है तो वे अनुज्ञेय रकमों से अधिक या कम हैं। उन परिवर्धनों और कटौतियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिनकी बाबत निर्धारिती रिजस्ट्रीकृत फर्म/अर्राजस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय के लाभ/हानि में अंश के संबंध में दायिलाधीन है/उसका हकदार है और जिसका ऐसी एजिस्ट्रीकृत फर्म/अर्राजस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय के नामले में पहले समायोजन नहीं किया गया है।

ंजोड़िए' और 'कटौर्ता कीजिए' रतम्भों के नीचे समायोजनों की कुल रकम अलग-अलग उपदर्शित की जानी चाहिए।

यहां 'सट्टे के कारबार से प्रभार्य आय' (अर्थात् ८ और 10 का समायोजित अतिशेष) उपदर्शित की जिए।

2. 'कारबार या वृत्ति से शुद्ध प्रभार्य आय' (अर्थात् ७ + ११) यहां उपदर्शित कीजिए। यदि ११ की रकम हानि की है, और उसे ७ के प्रति समायोजित नहीं किया जा. सकत्यूष्ट तो ऐसी दशा में ७ की रकम १२ के सामने उपदर्शित की जानी चाहिए।

### पृष्ठ 3 ग-पूंजी अभिलाभ

11.

- अंत्तरित आस्तियों का विवरण दें। अत्पक्तालिक और दीर्घकालिक आस्तियों के लिए पृथक स्तंभ दिए गए हैं। दनुसार अंतरित आस्तियों की विशिष्टियां संबंधित स्तंभों में दी जाएं। यदि अत्तरण में दो से अधिक अल्पकालिक/दीर्घकालिक आस्तियां अंतर्वितित हों तो पृथक नगणना पत्रा, दिए गए फार्म में, विवरणी के साथ संलग्न करें।
- 2. यहां पर निर्धारिती द्वारा आस्ति के अर्जन की तारीख, जहां लागू हो, उपदर्शित करें।
- 3. यहां वह तारीख लिखें जिसको आस्ति अन्तरित की गई है।
- अन्तरण से पूर्व निर्धारिती द्वारा आस्ति-धारण की अवधि मासों में कृपया यहां उपदर्शित करें।
- 5. यहां पर कृपया उपदर्शित करें कि निम्नलिखित में से अन्तरण का कौन सा ढंग अपनाया गया है:
  - (i) आस्ति का विक्रय, विनिमय या त्याग; या
  - (ii) उसमें के किन्हीं अधिकारों का निर्वापन; या
  - (iii) किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन; या
  - (iv) किसी ऐसी दशा में जहां आस्ति उसके स्वामी द्वारा अपने द्वारा चलाए जानेवाले किसी कारबार के व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित की जाती है या उसके द्वारा उस रूप में मानी जाती है वहां ऐसा संपरिवर्तिन या माना जाना; या
  - (v) कोई संव्यवहार जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53 क में निर्देष्ट प्रकृति की संविदा के भागिक पालन में किसी स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लेने या रखे रहने के लिए अनुशात किया जाता है; या
  - (vi) कोई संव्यवहार (चाहे वह किसी सहकारी सोसाइटी, कंपनी या अन्य व्यक्ति-संगम का सदस्य बनने के रूप में हो या उसमें शेयरों के अर्जन के रूप में हो अथवा किसी भी अन्य रीति से हो) जिसका प्रभाव किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण है या उसके उपभोग के लिए समर्थ बनाया जाना है।

4

अनिवार्य अर्जन की स्थिति में कृपया एक अलग कागज पर उस अधिनियम का उल्लेख करें जिसके अधीन अर्जन किया गया है। अधिसूचना और कब्जे की तारीखें भी लिखें।

यहां वह सकल रकम, जो आस्ति के अन्तरण से वसूल की गई है/वसूली योग्य है, उपदर्शित की जानी है।

कृपया यहां उपदर्शित करें—<sup>°</sup>

भून्य

(i) अर्जन की लागत : यह निधारिती द्वारा आस्ति के अर्जन में उपगत लागत है या धारा 49 और 55(2) के निबन्धनों के अनुसार लागत।

(ii) सुधार की लागत : 'गुड़बिल' के संबंध में यह सूख है जबकि अन्य आस्तियों के संबंध में यह आस्ति के सुधार में उपगत लागत है—धारा 55(1)(ख)

(iii) अन्तरण की लागतः यह अन्तरण के संबंध में लागत है—भारा 48(1)(क)(i)

्रुयहां 7 की कटौतियों की कुल राशि उपदर्शित करें।

🖊 यहाँ अतिशेष रकम (6-8) उपदर्शित करें। यदि इसका परिणाम हानि हो तो उसे (-) ऋण चिन्ह द्वारा उपदर्शित करें।

10. अन्य कटौतियां — यहां अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूजी अभिलाभों के सेबंध में अनुत्तेय कटौतियां अलग-अलग उपदर्शित की जाएगी। कृपया प्रत्येक मद, उसके अधीन कटौती योग्य रकम सहित विनिर्दिष्ट करें। यदि स्थान अपूर्याप्त है तो अलग पन्ने का प्रयोग करें। यदि 9 में किसी दीर्घकालिक पूजी आस्ति की वाबत अतिशेष हानि है तो हानि की पशि धारा 48 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार निकालनी चाहिए। अनुत्तेय कटौतियां निम्नलिखित हैं:—

### अल्पकालिक पूंजी अभिलाभः

- (i) धारा 54ख(1), 54घ(1) या 54छ(1) के अधीन छूट प्राप्त रकम
- (ii) वह रकम जो धारा 54ख(2), 54घ(2) या 54छ(2) के अधीन जमा की गई है।

### II. दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभः

- (i) वह रकम जो धारा 54ख(1), 54घ(1), या 54छ(1) के अधीन छूट प्राप्त है।
- (ii) बह रकम जो धारा 54(ख)(2), 54घ(2), 54ङ(1), या 54छ(2) के अधीन जमा की गई है।
- (iii) धारा 48(2) के अधीन।
- 11. कृपया यहां अतिशेष रकम (9-10) उपदर्शित करें। यदि 9 का अतिशेष हानि है, तो उसे यहां दोहराया जाए।
- 12. यहां 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन (धारा 50 के अधीन से भिन्न) समझी गई आय उपदर्शित की जानी है। कृपया प्रत्येक मद, उसके अधीन सम्मिलित किए जाने योग्य स्कम सहित अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें। ऐसी समझी गई आय से संबंधित सुसंगत उपबंध धारा 45(2)/(3)/(4)/(5), 54(ख)(2), 54घ(2), 54ड(2) और 54छ(2) में दिए गए हैं।
- 13. पिहा पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल स्कम (धारा 50 के अधीन से भिन्न) उपदर्शित की जानी है। यह अल्पकालिक और दोर्घकालिक आस्तियों के ১মলখ में अलग-अलग उपदर्शित की जाए।
- 14. यहां अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के लिए 11 और 13 के शुद्ध परिणाम अलग-अलग उपदर्शित करें।
- 15. यहां पर धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ उपदर्शित करें। इसके संबंध में सुसंगत ब्यौरे अलग पन्ने पर लिखने चाहिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न कर देना चाहिए।

धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, 'पूंजी अभिलाभ' शोर्घ के अधीन अन्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ/हानियां क्री अवधिवार शुद्ध रकम अन्दरी स्तभों में उपदर्शित की जानी चाहिए और इनकी संकलित राशि कुल जोड़ में उपदर्शित की जानी चाहिए।

### घ. अन्य स्त्रोतों से आय

- 1. (क्) कृपया लाभांश की सकल स्कम उल्लिखित करें। निम्नलिखित जानकारी देते हुए पृथक प्रेता संलग्न करें:—
  - (i) कम्पनी का नाम
  - (ii) शेयरों की संख्या
  - (iii) लाभांश की सकल रकम
  - (iv) स्रोत पर काटा गया कर

यदि निर्धारिती ने धारा 2(22)(ग) के अधीन उल्लिखित प्रकृति की कोई राशि प्राप्त की है और जो लाभांश समझी गई है तो कम्पनी का नाम और पता, प्राप्त संदाय की प्रकृति और इस प्रकार प्राप्त राशि बताते हुए विवरण प्रस्तुत करें। कृपया लाभांश अधिपत्र तथा अन्य समर्थक साक्ष्य संलग्न करें।

- (ख) कृपया प्राप्त किए गए/प्राप्य ब्याज की सकल रकम को उल्लिखित करें। प्राप्त किया गया/प्राप्य ब्याज की प्रत्येक मद के संबंध में जानकारी देते हुए पृथक पत्रा संलग्न करें और समर्थक साक्ष्य संलग्न करें।
- (ग) यहां लाटरी, वर्ग पहेली और दौड़ आदि से हुई जीत की सकल रकम लिखें और यदि दो या दो से अधिक मदे हों तो पृथक संगणना संलग्न करें और समर्थक साक्ष्य संलग्न करें।
- (ध) यहां मशीनों, संयंत्र या फर्नीचर और भवन की भी किराए पर दिये जाने से प्राप्त आय उपदर्शित करें यदि यह 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाम' शीर्ष के अधीन आय कर प्रभार्य नहीं है।
- ्ङ) 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य अन्य आय विनिर्दिष्ट करें।
- 2. 🕶 यहां सकल प्राप्तियों की कुल राशि उपदर्शित की जानी है।
- 3. मदों के अधीन दावा की गई कटौतियों की मदें और रकमें विनिर्दिष्ट करें। सुसंगत उपबंध धारा 57 में हैं।

यहां दावा की गई कटौतियों का योग उपदर्शित करें। यहां 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य शुद्ध आय उपदर्शित की जानी है। पृक्ष 4 ङ पूर्व वर्षों से अग्रनीत अनामेलित हानियां या मोक यहां पर पूर्व वर्षों से अग्रनीत अनामेलित हानियां या मोक के ब्यौरे दीजिए। यदि दिया गया स्थान कम है, तो पृथक पन्ने पर, यहां उपदर्शित स्तंभों का प्रयाग करते हुए ब्यौरे दीजिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न कर दीजिए। यदि अग्रनीत हानियों/मोकों और चालू अवक्षयण को अवशोषित करने के लिए लाभ पर्याप्त नहीं हैं, तो हच्चतम न्यायालय के नवीनतम विनिश्चयों के अधीन रहते हुए उनके लिए कटौती निम्नलिखित क्रम से की जानी चाहिए:--चालु वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय [धारा 35(1)] चाल अवक्षयण [धारा 32(1)] अम्रनीत कारबार हानियां [धारा 72(1)] अनुमोलित परिवार कल्याण संबर्धन पूंजीगत व्यय [धारा 36(1)(ix)] तित अवक्षयण [धारा 32(2)] नमालत वैज्ञानिक अनुसंधान पूजीगत व्यय [धारा 35(4)] अनॉमेलित विकास मोक [धारा 33क(2)(ii)] चाल विकास मोक [धारा 33क(2)(i)] अनामैलित विनिधान मोक [धारा 32क(3)(ii)] च्चालू विनिधान मोक [धारा 32क(3)(i)] यहाँ निर्धारण वर्ष 1982-83 से पूर्व की अवधि से संबंधित अनामेलित अवक्षयण उपदर्शित करें। धारा 115ज के अधीन बही-लाभ का 30 प्रतिशत च. यहां पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की छठी अनुसूची के भाग II और भाग III के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखे में दिखाया गया शुद्ध लाभ उपदर्शित किया जाए। **अ**मायोजन :--(क) कृपया निम्नलिखित सिश्मी जोड़ें-(रकमे) सदत्त या सदेय आयकर की रकम या उसके लिए व्यवस्था; (i) आरक्षितियों (धारा 80जजब या धारा 33कग की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट आरक्षिति से भिन्न) में ले जाई गई रकमें, चाहे किसी भी नाम (ii) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों को चुकानें के लिए व्यवस्था के रूप में अनग रखी गई रकम; (iii) समनुषंगी कम्पनियों की हानियों के लिए व्यवस्था के रूप में रकम; (iv) आयकर अधिनयम, 1961 के अध्याय III के अधीन छूट प्राप्त आय हिन सर्वाधित अधीन अधीन छूट प्राप्त आय (v) (vi) धारा ८०जजघ के अधीन सर्जित आरक्षिति से निकाली गई रकमे जिसका उपयोग धारा ८०जजघ की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन (vii) से भित्र प्रयोज्न के लिए किया गया है; धारा 80 ज ज घ के अधीन सर्जित आरक्षिति से निकाली गई रकम, उस सीमा तक जहां तक कि रकम का उपयोग धारा 80जज़ की (viii) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है। धारा 33कग की उपधारा (3) के अधीन लाभ समझी गई रकम; (ix)निम्नलिखित राशियां कृपया घटाइए :---वृह रकम जो आरक्षितियों या व्यवस्थाओं से वापस ली जाती हैं (धारा 80जजद के अधीन आरक्षिति से भिन्न) ऐसी आय की रकम्! जिसको आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय III के कोई उपबंध लागू होते हैं। (ii) कारबार से मानी गईँ रकमें, जिनसे हुए लाभ धारा 80जजग और 80जजघ के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं। हानि की रकम या अवक्षयण की रकम जो सुसंगत पूर्व वर्ष के लाभ के प्रति मुजरा की जानी अपेक्षित होगी मानों कम्पनी अधिनियम, (iii) (iv) 1956 की धारा 205 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के खण्ड (ख) के वैपबंध लागू हैं। जोडिए और घटाइए स्तंभों के अधीन अलग-अलग समायोजनों की सकल राशि उपदर्शित कीजिए। यहां पर बही-लाभ (अर्थात् 1 और 3 के समायोजन के बाद अतिशेष) उपदर्शित केरें। .यहां, ऊपर 4 में संगणित वही-लाभ का 30 प्रतिशित उपदर्शित करें। कुल आय का विवरण <u>εδ</u>. थहां आय के विभिन्न शीपों के अधीन मद क से घ के सामने कर से प्रभार्य शुद्ध रकमों का उल्लेख कीजिए। ये वही होनी चाहिए जो क्रमशः मद क 8 के सामने पृष्ठ 1 पर, "मद ख 12 के सामने पृष्ठ 2 पर और मद ग16 और घंड वे सामने पृष्ठ 3 पर उपदर्शित की गई है। यहां (अधिनियम की धारा 71 के उपबंधों को लागू करने के पश्चात्) क से घ तक का गुद्ध परिणाम उपदर्शित किया जाना चाहिए। 2. ंयहां पूर्व वर्षों से अप्रनीत अनामेलित हानियां/मोकों की कुल रकम जिसकों पृष्ठ 4 पर मेद इनके प्रति मुजरा किए जाने का दावा करते 3. हुए दर्शित किया है, उपदर्शित करें। यहां परिणामी रकम अर्थात् मद 2 और 3 का अंतर उपदर्शित करें। यहां अध्याय VIक के अधीन दावा की गई कटौतियाँ उपदर्शित की जाती चाहिए। इन कटौतियों की संकलित रकम योग में दर्शित की (III) कृपया संदाय/अभिदाय को सकल रकम की संगणना, अर्हक रकम दावा की गई कटौनी की शुद्ध रकम लिखें। यदि उपबंधित किया गया स्थान अपर्याप्त हो तो, संगणना पृथक कागज पर दें और उसे विवरणी के साथ संलग्न करें। कृपया दावे के समर्थन में संदाय/अभिदाय का सबूत भी संलग्न करें। Ш.

अध्याय 6-क के अधीन पात्र कटौतियों का संबंध निम्नलिखित से हैं:---

(i) कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान । कितपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को केवल वही नकद दान धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र होगा, जिसका योग 250 रू॰ से अधिक है । संपूर्ण अधिकतम सीमा सकल कुल आय की 10 प्रतिशत है । जिसमें से वह रकम घटा दी जाएगी जिस पर कोई कर संदेय नहीं है या जिसके प्रति तिर्देश से करदाता अध्याय 6-क के अधीन किसी कटौती का हकदार है (धारा 80छ)

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्राम विकास के लिए दान। वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कतिपय दानों की बाबत धारा 80छछक के अधीन 100 प्रतिशत कटौती उपलब्ध है।

(iii) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, पिछड़े क्षेत्रों में नये स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल कारबार से लाभों और अभिलाभों का 20 प्रतिशत (धारा 80जज)

(अ) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, कुछ क्षेत्रों में नए स्थापित लघु औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों का 20 प्रतिशत (धारा 80जजक)

(v) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, भारत से बाहर परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों को 50 प्रतिशत **(**धारा 🖠 80 जजख)

(vi) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट माल या वाणिज्य के निर्यात से, यदि विक्रय आगम संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्य है, प्राप्त लाओं और अभिलाभों का 100 प्रतिशत (धारा 80जजग)

(vii) कुछ शर्ती और विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अधीन रहते हुए, विदेशी पर्यटकों के प्रति की गई सेवाओं के लिए अनुमोदित होटलों या यात्रा अभिकर्ताओं या पर्यटन प्रचालक की आय, यदि प्राप्तियाँ, लाभ और हानि लेखा में नामे डाले गए और आरक्षित लेखा में जमा किए गए सुसंगत पूर्व वर्ष के ऐसे लाभ के अतिशेष को जोड़कर, ऐसी सेवाओं से लाभ का 50 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय है (धारा 80जजध)

(viii) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए 31.3.1981 के पश्चात् स्थापित औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों का 20 प्रतिशत (धारा 80 झ)

(ix) कुछ दशाओं में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों या पोतों या होटल कारबार से, लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (धारा 80 अ)

(x) कुक्कुट पालन के कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ का 33 प्रतिरात (धारा 80जन)

(xi) कतिपय अतिनर्शमीय लाभांशों के संबंध में 60% कटौती—(धारा 80 ड)।

(xii) कतिपय विदेशी उद्यमों से स्वामित्व इत्यादि की बाबत कटौती (धारा 80 ण)

6. यहां कर से प्रभार्य कुल आय (4-5) दी जाए।

7 पृष्ठ 4 पर मद च5 के सामने दर्शित, धारा 115ज के अधीन संगणित बही-लाभ का तीस प्रतिशत उपदर्शित करें।

8ू युद्ध, उपरोक्त मद 6 या 7 के अनुसार, जो भी अधिक हो धारा 115अ के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, कुल आय, उपदर्शित करें।

9. यहां, उपबंधित रीति से, दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कुल आय का शब्दों और अंकों दोनों में उल्लेख कीजिए।

10. यदि किसी आय पर कर, विशेष दर से जैसे लाटरी आदि से जीत की बाबत धारा 115खख के अधीन

··· या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अधिकतम मार्जिन दर से प्रभा**र्य है तो उसका ब्यौरा पृथक कागज पर दी**जिए।

यहां, अन्य व्यक्तियों को उद्भूत और निर्धारितों की कुल आय में सिम्मिलित आय दी जाएगी

पृष्ठ—5 . भाग II

करों का विवरण

यहां कुल आय पर संदेय कुल कर दिया जाना है।

 यहां विलंब से विवरणी फाइल करने के लिए, अग्निम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए या अग्निम कर के आस्थान के लिए, प्रभार्य ब्याज अलग-अलग दीजिए। इनकी संगणना धारा 234क, धारा 234ख और धारा 234म में अधिकथित रीति से की जाएगी।

3. यहां संदेय कर और ब्याज की कुल रकम (1 + 2) उपदर्शित की जानी है।

4. इन प्रथोजनों के लिए उपबंधित तत्संबंधी स्तंभों में (क) अग्रिम कर की किश्तों और (ख) स्रोत पर कटौती किए गए / संग्रहीत करों की विशिष्टियां दें।

5. खतः निर्धारण पर (अर्थात् विवरणी क्राइल करने से पहले) संदत्त कर और ब्याज के ब्योरे दें और इस प्रकार संदत्त रकम के क्रि समर्थन में चालान

6. येहां अन्य पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हों, उपदर्शित किए जाने हैं। कृपया ऐसे संदाय का सब्देत संप्रावाम करें।

कृपया एस सदाय का संबंद स्थापकम कर । (स्नरभाज)

7 ्यहां कर / ब्याज की कुल संदत्त रकम (अर्थात 4 + 5 + 6) दी जानी है।

8. यहां यथा स्थिति, संदेय या प्रतिदेय शुद्ध कर उपदर्शित किया जाना है। प्रतिदाय को उपदर्शित करने के लिए इसे ऋण (—)का चिन्ह लगाएं।

<ul> <li>क. आस्वार या यृत्ति से संबंधित जानकारी</li> <li>(क) वह /वे पूर /यूर का और चता / एवं दिविष्ठ किसमें / जिसमें कांकार / वृत्ति की जाती हैं। यदि दिय पण स्थान पर्यात नहीं है, तो कृपया ऐसा / ऐसे नाम और राता/पति असना जाना पर दिखे और विवरणों के साथ संस्तृत्र करें।</li> <li>(अ) शांका (शांकाओं) का / के पूर/पूरे नाम और पता/पति लिखें।</li> <li>(ग) कारतार की दशा में कृपया विवर्धिह वेबीजए कि यह व्यावार/ विवर्धिंग में का उस्लेख की विवरणों / आयात आदि है और वह / थे मुख्य मर (मेदे) कीन सी है / है विवरण व्यापति किया जा सार है। वाद विवर्धिंग को असे पता/पति / आयात आदि है और वह / थे मुख्य मर (मेदे) कीन सी है / है विवरण व्यापति किया जा सामना गां अपना है है। यदि अपना है । यदि अपना अधि पति है जी वृत्ति के साम का उस्लेख की विवर्ध ।</li> <li>(य) कृपया उस्लेख की विवर्ध किया पति का साम र्वीचित्र पति किया की साम अपना सी की पता/पति अपना पति देशियर।</li> <li>(अ) असे तीति पत्त करीती / संवर्धीत किया पर कर करीती हैं। यदि अपना पति देशियर।</li> <li>(अ) असे असे विवरण अधीय लीति का माम र्वीचित्र जहां करानी हार सीत पर कार माम और पता/पति हैं। यदि अपना पति देशियर।</li> <li>(अ) उसे उस आयोध कितक लिए निर्मित का नाम र्वीचित्र जहां करानी हों हैं। यदि अपना पति पत्ति का नाम र्वीचित्र करानी की यदि हैं। यदि असे असे सिंवर विवर्धिंग की माम की पत्ति की पति हैं। यदि असे असे सिंवर्ध की विवर्धिंग किया माम सिंवर्ध करानी की पति हैं। यदि असे असे सिंवर्ध की विवर्धिंग किया माम सिंवर्ध करानी की पति हैं। यदि विवर्धिंग की विवर्धिंग की कार्ये के सिंवर्ध करानी की के साम सिंवर्ध की विवर्धिंग की कार करानी की सिंवर्ध करानी के लाम सिंवर्ध की विवर्ध की विवर्ध हैं विवर्ध करानी की सिंवर्ध करानी के सिंवर्ध करानी के सिंवर्ध की विवर्ध करानी के सिंवर्ध की विवर्ध के सिंवर्ध की विवर्ध करानी के सिंवर्ध क</li></ul>
(क) वह / वे पूरा/पूरे नाम और पता/पते दीविए जिसमें / जिसमें कारकार   इति को जाती है । यदि दिया माज स्थान पर्याप्त नहीं है, तो कृपवा ऐसा / ऐसे नाम और पता/पते अदार काराज पर तिखं और विकाली के साथ संस्त्र करें।  (अ) शाख (शाखाओं) का/के पूरा/पूरे नाम और साथ प्रतिक्षित के साथ करें।  (त) कारकार को रशा में कृपवा विविद्धिह सीविष्ठ कि वह लागत / यो कि विविद्ध की है । यदि श्रीक / खुदरा विकाय / निर्मा / जाता आदि है और वह / वे मुख्य मर (मदे) कीन सी है / है जिसका व्याप्ता किया जा रहा है। यदि कृति है तो वृत्ति के नाम का उल्लेख कोजिए    (य) क्यमती के प्रवंध निदेशक / प्रधान अधिकारी / सिष्क स्थित की मान का उल्लेख कोजिए    (य) क्यमती के प्रवंध निदेशक / प्रधान अधिकारी / सिष्क स्थित की मान का उल्लेख कोजिए    (य) क्यमती के प्रवंध निदेशक / प्रधान अधिकारी / सिष्क स्थित की मान का उल्लेख कोजिए    (य) क्यमती के प्रवंध निदेशक / प्रधान अधिकारी / सिष्क स्थित की प्रयंत जानकारी    1. यहां तिशीदित कमानी का वक कटीती स्थित सिष्क स्थान अपने काम काम दीजिए जहां कमानी द्वारा स्थात पर कर कटीती सिक्त का नाम दीजिए जहां कमानी द्वारा स्थात पर कर कटीती सिक्त का नाम दीजिए जहां कमानी द्वारा स्थात पर काम काम सिक्त का नाम दीजिए जहां कमानी द्वारा स्थात पर कर कटीती सिक्त का नाम दीजिए जहां कमानी द्वारा स्थात पर कर करीती को पर कर करीती सिक्त का नाम दीजिए जहां कमानी द्वारा स्थात पर कर करीती को पर कर करती को ताचा प्रवारा पर विविद्ध काम सिक्त सिक्त पर कर करीती के साथ को संगणना में करीती को पर विवर्ध काम प्रवंध कर कर करीती का दाया विनिध्ध को सिक्त पर कर करीती को उपदर्शित करीता को पर करान करीती को पर करान करीतो को पर करान करी को विवर्ध सिक्त के सिक्त पर करान करीतो को पर करान करी के लिए स्थान करान काम के अधिकार के करान के स्थाप के अधिकार में करान के करान करान करीता को उपदर्शित करीन करान के लिए सीकिए में करान के करान करान करान करान करान करान करान करान
(ग) कारदार को दशा में कृष्या विनिर्दिह क्षेतिवर कि यह व्यासार विनिर्माण थोक र युद्धा किकर ) निर्माण आयात आदि है और वह / वे मुख्य सर (मरें) कीन सी है / है किवल व्यापत किया जा सह है। यदि वृति है तो वृत्ति के नाम का उल्लेख कीविय (स क्या साम साम है। यदि वृति है तो वृत्ति के नाम का उल्लेख कीविय (स क्या साम साम है। यदि वृत्ति है तो वृत्ति के नाम का उल्लेख कीविय (स क्या नाम और पद्धित देविय । (स) क्या का कर करीती संमाण किए गए कर की बावत जानकारी  1. यहां विश्वीरित कम्मा का कर करीती लिखा संख्या उपदर्शित केविय ।  2. यहां उस स्तेत पर कर करीती सामित कम नाम देविय जहां कम्पनी द्वार कोत पर कर करीती सामित कम नाम देविय जहां कम्पनी द्वार कोत पर कर करीती सामित कम नाम देविय जहां कम्पनी द्वार कोत पर कर करीती कम नाम देविय जहां कम्पनी द्वार कोत पर कर करीती कम ति पर कर करीती है है (प) लगाएं।  (स) यहां उस अवधि तिसके लिए निर्मीरित कम्पनी आप / होनि की विवरणी फाइल कर रही है, के दीम सुसंगत घाय (धाराओं) के अधीन सोत पर करीती को गई कि वह यो पहले पर कीत करना (फाणों) का उल्लेख करें।  (स) यहां दोल्डिए सामित सहित स्थात पर कर करीती के लिए विदित विद्याणी (विवरणियों) फाइल करने को तारीख (तारीखें) देविय ।  पृष्ठ के साम (फाणों) का उल्लेख करें।  (स) व्या कारवार या यृति के लाभों और अभिराभों से आय की संगणना में दावा को गई करीतिकों को विवरणियों फाइल करने को तारीख (तारीखें) देविय ।  पृष्ठ के साम (फाणों) को अभिराभों से आय की संगणना में दावा को गई करीतिकों को विवरणियों फाइल करने को तारीख (तारीखें) देविय ।  पृष्ठ कारवार या यृति के लाभों और अभिराभों से आय को संगणना में दावा को गई करीतिकों को विवरणियों का प्राव विवरण निर्माण केविय भावति कराय केविय व्या व्याव किए गए स्था में अनुतेब करीतियों को उपवर्तित करें विवरण स्था का कारविय करें के ति व्याव करें ति केविय संगणना में करें केविय संगणना में करें कर विवरण संगणना में करें करें के ति विवरणिय संगणना में करें करें केविय संगणना में करें करें केविय संगणना में करें करें केविय संगणना में करें करें करें कर विवरणा में करें करें कर विवरणा में करें करें कर करें करें कर विवरणा में करें कर करें विवरणा में करें कर संगण में करें कर करें कर करें कर संगणना में कर करें कर करें
(ग) कारतार को दशा में कृपया विनिर्दिष्ट क्षेतिया कि यह व्यासार / विनेत्ताण / थोक / खुटा क्रिकर   विनेत्र क्षेतिया   क्षेत्र क
(य) कृषया उल्लेख कीजिए कि यह 'लगात' या 'आजार कीमत' या 'अज्यक्ष' है। यदि अज्यक्ष' है। यदि 'अज्यक्ष' है
हाँ क्रम्पती के प्रबंध निदेशक / प्रधान अधिकारी / सिक्क क्रिक्क पूग / पूर नाम और पता / पते देविका । क्रिक्क सिक्क सिक्क सिक्क के सिक्क सि
र्ख. कंपनी द्वारा स्रोत पर कटौती/संग्रहीत किए गए कर की बाबत जानकारी  1. यहां निर्भारितों कम्पनी का कर कटौती लेखा संख्या उपदर्शित कींज्य।  2. वक्ष उस स्तेत पर कर कटौती लेखा संख्या उपदर्शित कींज्य।  3. (क) उन धाउओं पर जिल्के अधीन कोत पर कर कटौती/संग्रहीत की गई है।  3. (क) उन धाउओं पर जिल्के अधीन कोत पर कर कटौती/संग्रहीत की गई है।  4. (व) यहां उस अवधि विसक्ते लिए निर्धारितों कम्पनी आय / हानि की विवरणी पाइल कर रहीं है, के दौजन सुसंगत धारा (धाराओं) के अधीन स्रोत पर कटौती को गई कर की रकम (कमों) का उल्लेख करें।  (1) यहां टोल्डोल्एस सर्किल साहित, कोत पर कर कटौती के लिए विदित धिवरणी (विवरणियों) पाइल करने को तारीख (तारीखें) दीजिए।  1. यहां कारवार या यृति के लाओं और अभिलाओं से आय की संगणना में कटौती की गई गएं।  1. यहां कारवार या यृति के लाओं और अभिलाओं से आय की संगणना में दावा की गई कटौतियों की विनिर्देट विशिष्टियां दीजिए। यदि कटौती का दावा धिनधान निर्देश लेखा थी अध्यत किया जाता हूं तो कृपया अध्यरक भगणपत्र संलग्न भीजिए।  11. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षयण के कारण को गई कटौती को उपदर्शित कोजिए। शेप स्थान वर प्रयोग निर्मालिखत के संबंध में असुत्रेय कटौतियों को उपदर्शित करने के लिए कांजिए—  पद  (1) वितरधान निर्देश लेखा  (10) वितरधान निर्देश लेखा  (10) वितरधान निर्देश पर ख्वा  (10) वितरधान मिक अधीन प्रोतिलखाधिकारों के अर्जन पर व्यय  (11) वितरधान मोक अधीर संस्थाओं को  (12) अमानी और संस्थाओं को  (23) प्रामृतिक संसाधों के संस्थण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (24) प्रामृतिक व्यंतों का अप्राकरण  (25) प्रामृतिक व्यंतों का अप्राकरण  (27) प्रामृतिक व्यंतों का अप्राकरण
<ol> <li>यहां विशितित कम्पनों का कर कटौती लेखा संख्या उपदर्शित कीजिए।</li> <li>यहां उस खोत पर कर कटौती सिकित का नाम दीजिए जहां कम्पनी द्वारा स्रोत पर काटे गए कर से संबंधित विवरणी (विवरिणणी) फाइल की गई है।</li> <li>(ह) उन धाराओं पर जिनके अधीन स्रोत पर कर कटौती/सिम्रहीत की गई है। (√) लगाएं।</li> <li>(ह) यहां उस अवधि विसक लिए निर्धारिती कम्पनी आय / हानि की विवरणी फाइल कर रही है, के दीम सुसंगत धारा (धाराओं) के अधीन स्रोत पर कटौती की गई कर की रक्तम (रक्तमों) का उत्तरोख करें।</li> <li>(ग) यहां टोल्डोल्एसन सिक्त सिहत, स्रोत पर कर कटौती के लिए विदित विवरणी (विवर्णणों) फाइल करने की तारीख (तारीखें) दीजिए।</li> <li>पृष्ठ-6</li> <li>ग. कारवार या वृत्ति के लाओं और अभिलाओं से आय की संगणना में दाला की गई स्रोतियों की विविद्धि विशिष्टियां दीजिए। यदि कटौती का दावा विनिधान निर्देश लेखा था व्यवत किया आक्षा के लाए को गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेप स्थान का प्रयोग निर्म्रलिखित के संबंध में अनुत्तेय कटौतियों को उपदर्शित करने के लिए कीजिए—</li></ol>
2. यहां उस स्रोत पर कर कटौती सर्किल का नाम दीजिए जहां करपनी द्वार स्रोत पर काटे गए कर से संबंधित विवरणियों) फाइल की गई है। 3. (क) उन धराओं पर जिनके अधीन स्रोत पर कर कटौती/संग्रहीत की गई है, (√) लगाएं।  (ख) यहां उस अवधि जिसके लिए निर्धारितों करपनी आय / हानि की विवरणी फाइल कर रही है, के दौपन सुसंगत धारा (धराओं) के अधीन स्रोत पर कटौती की गई कर की रकम (रकमी) का उल्लेख करें।  (ग) यहां टोल्डोल्सल सहित, स्रोत पर कर कटौती के लिए विदित धिवरणी (विवरणियों) फाइल करने की तारीख (तारीखें) दीजिए।  पृष्ठ-6  ग. कररतार या वृत्ति के लाभों और अधिलाओं से आय की संगणना में दाता की गई कटौती की गई राशि  1. यहां करतार व्यावृत्ति के लाभों और अधिलाओं से आय की संगणना में दाता की गई कटौतियों की विवर्धि विशिष्टियां दीजिए। यदि कटौती का दावा विनिधान निर्देश लिखा थी आयह किया जाता है तो कृपया आवस्यक अमाण्यत्र संलग्न भीजिए।  11. क्या दिए गए स्थान में अवश्रयण के करण की गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेप स्थान का प्रयोग निप्नतिसित के संबंध में अनुत्रेय कटौतियों को उपदर्शित करने के लिए कीजिए:  पद  (1) विनिधान मोक  (10) वित्रिचान निर्देश लेखा  (10) वित्रचान मोक  (11) वित्रचान पर व्यव  (12) अमुतरित कारीकरों  (2) अमुतरित संसाधनों के सरकाय के कार्यक्रमों को करने पर व्यय  (13) अनुतरित संसाधनों के सरकाय के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (14) अमुतरित संसाधनों के सरकाय के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (15) अमुतरित संसाधनों के सरकाय के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (15) अनुतरित संसाधनों के सरकाय के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (15) अनुतरित संसाधनों के सरकाय के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (15) अनुतरित संसाधनों के सरकाय के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (15) अनुतरित संसाधनों के सरकाय के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (15) अनुतरित संसाधनों के सुर्देशण पर ल्यय
3. (क) उन धाराओं पर अितक अधीन स्रोत पर कर कटौती/संग्रहीत की गई है. (√) लगाएं विद्या पर अवधि जिसके लिए निर्धारिती कम्पनी आय / हानि की विवरणी फाइल कर रही है, के दौजन सुसंगत धारा (धाराओं) के अधीन स्रोत पर कटौती को गई कर की रकम (रकमों) का उल्लेख करें।  (ग) यहां टोण्डी•एस• सर्किल सर्वित, फ्रोत पर कर कटौती के लिए निर्वित विवरणी (विवरणियों) फाइल करने की तारीख (तारीखें) दीजिए।  पृष्ठ-6  ग. कारवार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में कटौती की गई परि  1. यहां कारवार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में दावा को गई कटौतियों की विवर्धिट निर्शिष्टयां दीजिए। यदि कटौती का दावा विनिधान निर्वेष लेखा था आता हूँ तो कुगया अध्ययमक प्रभाणणत्र संलग्न भीजिए।  11. कुगया दिए गए स्थान में अवश्वयण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेप स्थान का प्रयोग निप्नलिखित के संबंध में अनुशेय कटौतियों को उपवर्शित करने के लिए कीजिए:—  सद  (1) विनिधान मिक 32क 32क 33क 33क 33क 33क 33क 33क 33क 35क 35क 35
च्या यहां उस अवधि जिसके लिए निर्धारिती कम्पनी आय / इति की विवरणी फाइल कर रही है, के दौर्गन सुसंगत घारा (धाराओं) के अधीन खोत पर कटौती की गई कर की रकम (रकमों) का उल्लेख करें।  (ग) यहां टो॰डी॰एस॰ सर्किल सहित, फोत पर कर कटौती के लिए विहित धिवरणी (विवरणियों) फाइल करने की तारीख (तारीखें) टीजिए।  पृष्ठ-6  ग. कारवार या यृति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में कटौती की गई परि।  1. यहां कारवार वा वृति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में दावा को गई कटौतियों की विवर्धिट विशिष्टियां टीजिए। यदि कटौती का दावा विनिधान निक्षेप लेखा थी आवत किया जाता है तो कृपया अध्यरमक प्रभाणपत्र संलग्न भीजिए।  11. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षयण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेष स्थान का प्रयोग निप्नलिखित के संबंध में अनुतेष कटौतियों को उपदर्शित करने के लिए कीजिए—  सद  (1) विविधान मिक्ष 32क 32क 33क 33व 32क 33व 33व 33व 33व 33व 35क 33व 35क
कर की रक्षम (स्कर्मा) का उल्लेख करें।  (ग) यहां टोल्डी॰एस॰ सर्किल सहित, खोत पर कर कटौती के लिए विहित विद्याणी (विवर्यणयों) फाइल करने की तारीख (तारीखें) शिक्षए।  पृष्ठ-6  ग. कारवार या यृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संराणना में कटौती की गई राश  1. यहां कारवार वा वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संराणना में टावा की गई कटौतियों की विनर्दिट विशिष्टियां देजिए। यदि कटौती का दावा विनिधान निक्षेप लेखा थी। अपन किया जाता हूँ तो कृपया अध्ययक प्रभाणपत्र संलग्न भीजिए।  11. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षयण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कोजिए। शेप स्थान का प्रयोग निम्निलिखित के संबंध में अनुतेय कटौतियों को उपदर्शित करने के लिए कीजिए:  पद  (i) विनिधान मीक  (ii) विनिधान मीक  (iv) आप विकास मोक  (iv) आप विकास मोक  (iv) प्रवित्ति के अनुसंधान पर व्यय  (v) प्रवित्ति के अनुसंधान पर व्यय  (vi) प्रवित्ति के अनुसंधान पर व्यय  (vii) अध्वति के अनुसंधान पर व्यय  (ix) ग्रागों और संस्थाओं को  (क) प्रमीण विकास कार्यक्रमों  (ख) प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  35नाख  (x) प्रवित्तिक संसाधनों के संस्थण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  35ागाख  (x) प्रवित्तिक व्यवों का अणाकरण  (x) प्रवित्तिकों के पूर्वेक्षण पर व्यय
पृष्ठ-6  ग. कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में कटौती की गई गए।  1. यहां कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में दावा को गई कटौतियों की विनर्देष्ट विशिष्टियां दीजिए। यदि कटौती का दावा विनयान निशेष लेखा थी अध्यत किया जाता हूँ तो कृपया अध्ययक भगणपत्र संलग्न भीजिए।  11. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षयण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कोजिए। शेप स्थान का प्रयोग निम्नलिखित के संबंध में अनुत्रेय कटौतियों को उपदर्शित कारने के लिए कोजिए:  ———————————————————————————————————
पृष्ठ-6  ग. कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में कटौती की गई पाण  1. यहां कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में दाया की गई कटौतियों की विनर्देष्ट विशिष्टियां दीजिए। यदि कटौती का दावा विनयान निक्षेप लेखा थी अध्यक्ष किया जाता हूँ तो कृपया अध्यय्यक भगणपत्र संलग्न भीजिए।  11. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षयण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेप स्थान का प्रयोग निम्नलिखित के संबंध में अनुतेय कटौतियों को उपदर्शित करने के लिए कीजिए:  पद  (i) विनिधान मेक  (ii) विनक्षम मोक  (iii) विकास मोक  (iv) ध्राय विकास मोक  (v) पुनवीस मोक  (v) पुनवीस मोक  (v) पुनवीस मोक  (vi) शैज्ञदिक अनुसंधान पर व्यय  (vii) पृटेन्ट अधिकारों या प्रतिलिप्यधिकारों के अर्जन पर व्यय  (ix) म्रामों और संस्थाओं को  (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों  (ख) प्राक्षिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  35म  (x) प्रारंभिक व्यवों का अधाकरण  358
<ul> <li>म. कारवार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में कटौती की गई राशि</li> <li>1. यहां कारवार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय की संगणना में टावा की गई कटौतियों की विनर्दिष्ट विशिष्टियां देजिए। यदि कटौती का दावा विनिधान निक्षेप लेख थी अपन्त किया जाता हैं तो कृपया अथ्वरथक प्रभाणपत्र संलग्न भीजिए।</li> <li>11. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षयण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेप स्थान का प्रयोग निम्नतिखत के संबंध में अनुज्ञेय कटौतियों को उपदर्शित कारने के लिए कीजिए:—</li> <li>पद</li> <li>(i) विनिधान मोक</li> <li>(ii) वित्रधान निवेष लेख</li> <li>(iii) वित्रधान निवेष लेख</li> <li>(iv) बाव विकास मोक</li> <li>(v) पूनवीस मोक</li> <li>(v) पूनवीस मोक</li> <li>(v) पूनवीस मोक</li> <li>(vi) जैज्ञतिक अनुसंधान पर व्यय</li> <li>(vii) गृथ्येच्हार ज्ञान पर व्यय</li> <li>(viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय</li> <li>(viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय</li> <li>(ix) अगमों और संस्थाओं को</li> <li>(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय</li> <li>(प्र) प्रवित्रक व्यवों का अपाकरण</li> <li>(x) प्रारंभिक व्यवों का अपाकरण</li> <li>(x) प्रारंभिक व्यवों का अपाकरण</li> <li>(x) कुछ खिनजों के पूर्वक्षण पर त्यय</li> </ul>
1. यहां कारवार या जृति के लाभों और अभिरक्षाभों से आय की संगणना में ट्रांबा की गई कटौतियों की विनिर्देष्ट विशिष्टियां दीजिए। यदि कटौती का दावा विनिधान निक्षेप लेखा थी आवत किया जाता हैं तो कृपया अध्यरयक प्रभाणपत्र संलग्न भीजिए।  11. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षयण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेप स्थान का प्रयोग निम्नलिखित के संबंध में अनुजेय कटौतियों को उपदर्शित कारने के लिए कीजिए:  12. पद  (1) विनिधान मोक 32क (ii) विनिधान निक्षेप लेखा (iii) विकास मोक 33कख (iii) विकास मोक 33कख (iv) भ्राव विकास मोक 33कख (iv) भ्राव विकास मोक 33कख (iv) भ्राव्विक अनुसंधान पर व्यय (vii) भ्रेटेन्ट अधिकारों या प्रतिलिप्यधिकारों के अर्जन पर व्यय 35कख (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय (ix) ग्रांमों और संख्याओं को 35गगक (ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय 35गगख (x) प्रांपिक व्यवों का अपाकरण
<ul> <li>11. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षयण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेप स्थान का प्रयोग निम्नलिखित के संबंध में अनुत्रेय कटौतियों को उपदर्शित कारने के लिए कीजिए। —</li> <li>मद</li> <li>धारा</li> <li>(i) विनिधान मोक</li> <li>(ii) विनिधान निश्चेप लेखा</li> <li>(iii) विकास मोक</li> <li>(iv) धाव विकास मोक</li> <li>(v) धुनर्वास मोक</li> <li>(v) धुनर्वास मोक</li> <li>(vi) ध्रैज्ञितिक अनुसंधान पर व्यय</li> <li>(vii) ध्रैट्य अधिकारों था प्रतिलिप्यधिकारों के अर्जन पर व्यय</li> <li>(viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय</li> <li>(viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय</li> <li>(ix) संगमों और संस्थाओं को</li> <li>(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय</li> <li>(x) प्रारंभिक व्यवों का अपाकरण</li> <li>(x) प्रारंभिक व्यवों का अपाकरण</li> <li>(xi) कुछ खिनजों के पूर्वक्षण पर त्यय</li> </ul>
भद (i) विनिधान मोक 32क 32क 32क 32क 32क 32क 32क 32क 32क 32
(ii) विनिधान निक्षेप लेखा 32कख 33क (iii) विकास मोक 33क 33क 33क 33क 33क 33क 33क 33क 33क 3
(ii) विनिधान निक्षेप लेखा (iii) विकास मोक 33क (iv) बाव विकास मोक 33कख (v) पुनर्वास मोक 33ख (vi) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (vi) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय 35कख (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय 35कख (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय (ix) ग्रांगों और संस्थाओं को (क) ग्राम्गां विकास कार्यक्रमों (ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय 35घ  (x) ग्रांगिक व्यवों का अपाकरण (x) ग्रांगिक व्यवों का अपाकरण (xi) कुछ खनिजों के पूर्वक्षण पर व्यय 35कख 35मणख 35पणख 35घ
(iii) विकास मोक       33क         (iv) बाव विकास मोक       33कख         (v) पुनर्वास मोक       33ख         (vi) वैज्ञादिक अनुसंधान पर व्यय       35         (vii) प्रेटेन्ट अधिकारों या प्रतितिष्याधिकारों के अर्जन पर व्यय       35क         (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय       35क         (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय       35कख         (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय       35कख         (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय       35कख         (ix) प्रामीण विकास कार्यक्रमों       35गगक         (ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय       35णख         (x) प्रारंभिक व्ययों का अपाकरण       35घ         (xi) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर त्यय       35ड
(v) पुनर्वास मोकें       33ख         (vi) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय       35         (vii) पुटेन्ट अधिकारों या प्रतितिष्याधिकारों के अर्जन पर व्यय       35क         (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय       35कख         (ix) प्रामों और संस्थाओं को       35गगक         (क) प्रामाण विकास कार्यक्रमों       35गगक         (ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय       35गगख         (x) प्रारंभिक व्ययों का अपाकरण       35घ         (xi) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर त्यय       35ड
(vi) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय       35         (vii) प्रेटेन्ट अधिकारों या प्रतिलिप्याधिकारों के अर्जन पर व्यय       35क         (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय       35कख         (ix) प्रगंभों और संस्थाओं को       35गगक         (क) प्राम्मिण विकास कार्यक्रमों       35गगक         (ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय       35गगख         (x) प्रारंभिक व्यवों का अपाकरण       35घ         (xi) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर त्यय       35ड
(vii) भेटेन्ट अधिकारों या प्रतिलिप्याधिकारों के अर्जन पर व्यय       35क         (viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यथ       35कख         (ix) प्रागंभों और संस्थाओं को       35गगक         (क) प्रामाण विकास कार्यक्रमों       35गगक         (ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय       35गगख         (x) प्रारंभिक व्यवों का अपाकरण       35घ         (xi) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर त्यय       35ड
(viii) व्रयवहार ज्ञान पर व्यथ       35कख         (ix) प्रागमों और संस्थाओं को       35गगक         (क) प्राम्तिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय       35गगख         (x) प्रारंभिक व्ययों का अपाकरण       35घ         ★(xi) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर त्यय       35ॾ
(ix) प्रांगों और संख्याओं को  (क) प्रामीण विकास कार्यक्रमों  (क) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय  (x) प्रांगीभक व्यवों का अपाकरण  (xi) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर त्यय  35घ 35ছ
(क) प्रामीण विकास कार्यक्रमों 35गगक (ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय 35गगख (x) प्रारंभिक व्ययों का अपाकरण 35घ ★(xì) कुछ खनिजों के पूर्वेक्षण पर व्यय
<ul> <li>(ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय</li> <li>(x) प्रारंभिक व्यवों का अपाकरण</li> <li>(xi) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर त्यय</li> </ul>
(x) प्रारंभिक व्यवों का अपाकरण 35घ ★(xì) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर व्यय 35ड
्रे (xi) कुछ खिनजों के पूर्वेक्षण पर रुपय
्रिक्षा को को को सम्म 36(1)(ii)
1 A 14   MC   MC   MC   MC   MC   MC   MC   M
(xiii) उधार ली मई पुंजी पर व्याज ' 36(1)(iii)
(xiv) डूबंत ऋण
(XV) 'सत्कार व्यय
(xvi) निश्नलिखित पर व्यय

यहां आय जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, उपदर्शित की जानी है। ऐसी आय को मद के लिए जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, कृपया उसकी प्रकृति, वह रकम जिसके लिए छूट का दावा किया गया है और उस दावे के कारण विनिर्दिष्ट कोजिए।

भाग V — संलग्न दस्तावेजों / विवरणों की सूची

यहां आय की विवरणी के साथ संलग्न दस्तावेजों / विवरणों की पूरी विशिष्टियां दीजिए।

सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, सत्यापन के नीचे दिए गए विनिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस पर, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 140(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए ज़िले हैं। सत्यापन में सभी सुसंगत स्तेभों को भरें। यथा उपदर्शित स्थान और तार्गिख लिखें। जहां कहीं आवश्यक हो, विवरणी के साथ मुख्तारनामा संलग्न कीजिए।

की. के. सबसेता १ विवेश सबसेना १ अवर भविव, भारत सरकार स्व - 9 766 - प्रां प्रसं । 33/404/90 टिंगिपी एक एक